



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 2, 1941

No. 486]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 2, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 16 दिसम्बर, 2019

सं.टीएएमपी/36/2019-सीआईटीपीएल.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) से उनके दरमान के सामान्य संशोधन के लिये प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/36/2019-सीआईटीपीएल

चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड

...

आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रतन सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवंबर, 2019 के 29वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिये उनके 18 जुलाई 2019 के पत्र संख्या सीआईटीपीएल/एफ एंड ए/टीएएमपी/2019/001 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसरण में सीआईटीपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव पर सुविचार करते हुए सीआईटी सीआईटीपीएल के दरमानों का 06 जनवरी, 2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल के द्वारा संशोधन किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 14 फरवरी 2012 को राजपत्र संख्या 33 में अधिसूचित हुआ। उक्त आदेश के अनुसार, इस प्राधिकरण ने सीआईटीपीएल के तत्समय प्रचलित प्रशुल्क में 12.23% की घटौती कर दी थी। (अर्थात् 3 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल के द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क) जबकि सीआईटीपीएल ने 15% की प्रशुल्क वृद्धि की मांग की थी।

3.1. अपने प्रशुल्क में घटौती से व्यथित, सीआईटीपीएल ने इस प्राधिकरण के 6 जनवरी, 2012 के प्रशुल्क आदेश को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर 2012 की रिट याचिका संख्या 11010 और 11011 के द्वारा चुनौती दी।

3.2. माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी, 2012 के प्रशुल्क आदेश पर रोक लगा दी और सीआईटीपीएल को 3 नवंबर 2010 के प्रशुल्क आदेश द्वारा यथानुमोदित प्रशुल्क की उगाही करने की अनुमित दे दी। माननीय उच्च न्यायालय का वह आदेश अभी भी प्रवृत्त है और सीआईटीपीएल 3 नवंबर, 2010 के प्रशुल्क आदेश द्वारा यथानुमोदित प्रशुल्क की उगाही अभी भी कर रहा है।

4. पोत परिवहन मंत्रालय ने, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 मार्च 2019 के अपने पत्र के द्वारा पीआर-14019/20/2009- पीजी (भाग-IV) उन बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019, भारत के राजपत्र में 7 मार्च, 2019 के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए। तत्पश्चात्, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख्या 244 में अधिसूचित हुए।

5.1. इस पृष्ठभूमि में सीआईटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसरण में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 18 जुलाई, 2019 को दायर किया। सीआईटीपीएल ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित निवेदन किये हैं:-

- (i) पोत परिवहन मंत्रालय ने, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ववर्ती प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के अंतर्गत महापत्तन न्यासों में परिचालित बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्कों का विनियमन करने के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 जारी किये। कथित दिशानिर्देश भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग III खंड 4) में 7 मार्च 2019 के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए हैं। बाद में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 20 जून, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/61/2018-विविध के द्वारा कार्यकारी दिशानिर्देश जारी किये।
- (ii) सीआईटीपीएल ने दिशानिर्देश 2019 जारी करने में सरकार के पहल प्रयास का स्वागत किया जिससे बीओटी प्रचालकों द्वारा 2005 के दिशानिर्देशों के अधीन लंबे समय से सामना किये जा रहे विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। दिशानिर्देश 2019 बीओटी प्रचालकों को पत्तन सैक्टर में निवेश करने और व्यापार में सेवा करने को प्रोत्साहित करेंगे।
- (iii) यह पुष्टि की जाती है कि सीआईटीपीएल चेन्नई पत्तन न्यास से इस प्रभाव का अलग से एक करार करेगा कि सीआईटीपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का पालन करेगा।
- (iv) प्रशुल्क संशोधन का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार तैयार किया गया है। प्रस्तुत सूचना फार्मों और प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- (v) प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- (क) प्रशुल्क प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में तैयार किया गया है जिनमें सीआईटीपीएल के वर्ष 2015-16 (15 वित्तीय माह), 2016-17 और 2017-18 के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर सूचना दी गई है।
- (ख) सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित लेखे आईजीएएपी के अनुसार तैयार किये गए हैं। अतः फार्म 6क और 6ख लागू नहीं हैं संख्याओं को चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया है।
- (ग) मोटे तौर पर मौजूदा दरमान को ही जारी रखने का प्रस्ताव है, सिवा निम्नलिखित परिवर्तनों के:
- (i) प्रशीतन प्रभारों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि बिजली का प्रशुल्क पिछले प्रशुल्क चक्र से 5.80 रु. प्रति यूनिट से बढ़कर 8 रु. प्रति यूनिट हो गया है।
- (ii) फैक्ट्रियों को सीधे मूव करने के लिए सीधे पत्तन सुपुर्दगी (डीपीटी) को प्रोत्साहित करने के लिए, डीपीटी मुक्त भंडारण अवधि को 15 दिन तक बढ़ा दिया है।
- (iii) खतरनाक और ओओजी कंटेनरों को मौजूदा प्रभारों में, स्लिंग प्रचालनों के कारण अतिरिक्त क्रेन समय लगने की वजह से 12.5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित वृद्धि के बावजूद प्रीमियम 37.5% होगा जो प्राधिकरण के कार्यकारी दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों के भीतर है।
- (vi) प्रस्तावित प्रशुल्क की वैधता 01 सितंबर, 2019 से 30 अगस्त, 2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये होगी और सीआईटीपीएल को वैधता अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पूर्व उपयुक्त प्रस्ताव दायर करना होगा।
- (vii) चूंकि फार्म 1, 2, 3 और 4 तथा अन्य कार्गो में दी गई सूचना, उनको पुख्ता करने में सहायक दस्तावेजों सहित, वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं इसलिए इन फार्मों को परिपत्रित न करने का अनुरोध किया जाता है। हाँ, फार्म संख्या 5, 6क, 6ख और 7 को परिपत्रित किया जा सकता है।

5.2. सीआईटीपीएल ने फार्म-1 में वार्षिक राजस्व अपेक्षा का विस्तृत परिकलन और प्रस्तावित दरों पर राजस्व आकलन फार्म-4 में प्रस्तुत किया है।

- (i) सीआईटीपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर परिकलन का सार नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वाई1	वाई1	वाई2	वाई3
		जनवरी 2015 से मार्च 2016 (15 माह)	वर्ष 2015-16 (सीआईटीपीएल द्वारा दिये गए अनुसार 12 महीने का अनुपात)	2016-17	2017-18
(1)	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)				
(i)	प्रचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	19,035.04	15,228.03	18,097.55	18,552.47
(ii)	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	13,493.80	10,795.04	10,983.65	10,862.00
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	32,528.84	26,023.07	29,081.20	29,414.47
(2)	उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों में विचलन है।)				

क्र.सं.	विवरण	वाई1	वाई1	वाई2	वाई3
		जनवरी 2015 से मार्च 2016 (15 माह)	वर्ष 2015-16 (सीआईटीपीएल द्वारा दिये गए अनुसार 12 महीने का अनुपात)	2016-17	2017-18
(i)	मूल्यहास	-	-	-	-
(ii)	व्यय की अन्य मदें, यदि कोई हों, सूचीबद्ध की जाए	-	-	-	-
	समंजनों का योग 2=(i)+(ii)	-	-	-	-
(3)	घटाएं: समंजन				
(i)	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रायल्टी/ राजस्व हिस्सा	13,094.07	10,475.26	13,072.12	13,763.81
(ii)	ऋणों पर व्याज	5,498.87	4,399.10	4,003.03	3,322.99
(iii)	अप्राप्य और संदिग्ध ऋण का प्रावधान	-	-	1.15	-
(iv)	धीमी खपत की माल सूची का प्रावधान	-	-	-	-
(v)	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो।	-	-	-	-
	3 का योग=[3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	18,592.94	14,874.35	17,076.30	17,086.79
(4)	जोड़े: प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार ग्राह्य रायल्टी/राजस्व हिस्सा	-	-	-	-
(5)	सभी समंजनों के पश्चात् कुल व्यय (5 = 1+2-3)	13,935.90	11,148.72	12,004.90	12,327.67
(6)	क्रमांक 5 का औसत व्यय = [वाई1 + वाई2 + वाई3]/ 3	-	11,827.10		
(7)	पूँजीगत नियोजन				
	(i). बीओटी प्रचालक द्वारा अनुसारित वाई3 के 31 मार्च अथवा वाई3 के 31 दिसंबर को सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (आईजीएएपी के अनुसार)	-	80,712.13		
	(ii). जमा: बीओटी प्रचालक द्वारा अनुसारित वाई3 के 31 मार्च अथवा वाई3 के 31 दिसंबर को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	-	-		
	(iii). जमा: प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यशील पूँजी	-	-		
	(क) माल सूची		576.77		
	(ख) विविध देनदार		2,878.18		
	(ग) रोकड़		3,201.49		
	(घ) (क)+(ख)+(ग) का योग		6,656.44		
	(iv). कुल नियोजित पूँजी [(i)+(ii)+(iii)]		87,368.57		
(8)	नियोजित पूँजी पर क्रमांक 7(vii) पर 16% प्रतिफल		13,978.97		
(9)	31 मार्च, 2018 को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [(6)+(8)]		25,806.07		

क्र.सं.	विवरण	वाई1	वाई1	वाई2	वाई3
		जनवरी 2015 से मार्च 2016 (15 माह)	वर्ष 2015-16 (सीआईटीपीएल द्वारा दिये गए अनुसार 12 महीने का अनुपात)	2016-17	2017-18
(10)	वाई4 के लिए लागू एआरआर में @ 100% सूचकांकन उदाहरणार्थ यदि वाई4 2018-19 है तो ग्राह्य डब्ल्यूपीआई 3.45% है और वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर (9) x 1.0345) होगा।			26,696.38	
(11)	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)			26,696.38	
(12)	प्रस्तावित सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान पर राजस्व आकलन, ऊपर क्रमांक 11 के अनुसार।			26,248.20	

5.3. सीआईटीपीएल ने फार्म 4 में बीओटी प्रचालक द्वारा वाई1, वाई2 और वाई3 के दौरान वास्तव में प्रहस्तित यातायात की औसत के लिए मौजूदा प्रशुल्क के साथ-साथ प्रस्तावित प्रशुल्क के राजस्व आकलन की गणना प्रस्तुत की है। उक्त फार्म के अनुसार, प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर कुल आकलित राजस्व 26,248.20 लाख रु. है।

5.4. सीआईटीपीएल ने वर्ष 2015-16 (जनवरी 2015 से मार्च, 2016 तक), 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) और 2017-18 (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

6.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीआईटीपीएल के 18 जुलाई, 2019 के प्रस्ताव की प्रति हमारे 01 अगस्त, 2019 के पत्र के साथ संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई।

6.2. सीआईटीपीएल द्वारा किये गए विशिष्ट अनुरोध के संबंध में कि फार्म 5, 6क, 6ख और 7 की परिपत्रित किये जायें और अन्य फार्म परिपत्रित न किये जाएं, फार्म 5, 6क, 6ख और 7 प्रयोक्ताओं को परिपत्रित किये जा रहे हैं। प्रशुल्क दिशानिर्देश का खंड 4.3 यह उपबंध करता है कि जो डाटा गोपनीय प्राकृति का हो उसे परिपत्रित न किया जाए। चूंकि फार्म 1 लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित बुनियादी एआरआर परिकलन विवरण है और फार्म 3 परिपत्रित किया गया। चूंकि राजस्व हिस्सा सीआईटीपीएल के मामले में पास-श्रू के रूप में ग्राह्य नहीं है, फार्म 2 राजस्व हिस्से की ग्राह्यता के बारे में, एआरआर परिकलन में पास-श्रू के रूप में है परिपत्रित नहीं किया गया। चूंकि फार्म 4 प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर बिस्तृत राजस्व आकलन बताता है और पिछले 3 वर्षों के औसत यातायात को लेखबद्ध करना है, यह सुविचार में लेते हुए कि इसकी सूचना संवेदनशील हो सकती है इसलिए फार्म 4 भी परिपत्रित नहीं किया गया।

6.3. जहां तक प्रस्ताव को प्रयोक्ताओं से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिपत्रित करने का संबंध में, केवल साउदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसआईसीसीआई) ने ही, मामले की अंतिमता तक, अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। एसआईसीसीआई की टिप्पणियों को उन पर फीडबैक टिप्पणियों के लिए सीआईटीपीएल को भेजा गया। सीआईटीपीएल ने 21 अगस्त, 2019 के अपने पत्र के द्वारा अपना प्रत्युत्तर भेजा।

6.4. सीआईटीपीएल के 18 जुलाई, 2019 के प्रस्ताव की एक प्रति हमारे 01 अगस्त, 2019 के पत्र के द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) को भी उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई। 07 नवंबर, 2019 के अनुस्मारक के पश्चात सीएचपीटी ने 16 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी। सीएचपीटी ने बताया है कि उसे सीआईटीपीएल के प्रस्ताव पर कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि सीआईटीपीएल ने मौजूदा दरों को बनाये रखने (रीफर और ओओजी कंटेनरों को छोड़कर) का प्रस्ताव किया है। सीएचपीटी ने यह भी बताया है कि सीआईटीपीएल ने वर्ष

2012 में प्राधिकरण द्वारा प्रभारों के संशोधन के बारे में रोक प्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात् सीआईटीपीएल के दरमानों में कोई संशोधन नहीं हुआ है और वह मामला अभी भी लंबित है। सीएचपीटी ने 03 दिसंबर, 2012 के माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भेजी है, जिसमें न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2012 की तारीख दी थी और माननीय न्यायालय ने तब तक के लिए अंतरिम आदेश पारित किया था।

7. सीआईटीपीएल के प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा के आधार पर, हमने 3 अक्टूबर, 2019 के पत्र के द्वारा सीआईटीपीएल से कुछेक मुद्दों पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा। सीआईटीपीएल ने 08 अक्टूबर, 2019 और 01 नवंबर, 2019 के अपने पत्रों के द्वारा उत्तर दिया। मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उन पर सीआईटीपीएल का उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	सीआईटीपीएल का उत्तर																				
(i)	दिशानिर्देश, 2019 की अनुबद्धताओं के अनुसार सीआईटीपीएल द्वारा सीएचपीटी के साथ किये जाने वाले अलग से करार की प्रति भेजे।	सीआईटीपीएल ने 01 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा सीआईटीपीएल और सीएचपीटी के बीच 16 अक्टूबर, 2019 को हुए अलग से करार की विधिवत् हस्ताक्षरित प्रति पहले ही भेज दी गई है।																				
(ii)	सीआईटीपीएल के वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं का भाग 'अन्य व्यय' की अनुसूची 4.38 करोड़ रु., 4.36 करोड़ रु. और 4.63 करोड़ रु. 'रायल्टी' के रूप में दर्शा रहे हैं। "रायल्टी" का यह व्यय अलग से प्रकट होता है और 'पत्तन को राजस्व हिस्से' के अतिरिक्त है। सीआईटीपीएल स्पष्ट करे कि 'रायल्टी' शीर्ष के अंतर्गत लेखबद्ध व्यय किस किस्म का है और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के आलोक में इसका लागत के रूप में ग्राह्यता का औचित्य बतायें।	ये राशियां मूल कंपनी पीएसए इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पीएसए) का नाम और व्यापार ट्रेडमार्क और विशेषज्ञता आदि का प्रयोग करने के लिए रायल्टी के रूप में दी गई हैं। ये राशियां अंतरण मूल्य निर्धारणों में ग्राह्य व्यय के रूप में विधिवत् अनुमत हैं। उक्त को देखते हुए, यह भू-स्वामी पत्तन को भुगतान नहीं है और इसलिए, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अंतर्गत नहीं आता।																				
(iii)	सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में "वित्त लागत" अनुसूची सावधि ऋण, वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज तथा अन्य संबंधित प्रभारों पर ब्याज पर व्यय दर्शाती है। सीआईटीपीएल द्वारा फार्म 1 में कुल व्यय में से 'अन्य संबंधित प्रभारों पर ब्याज' को हटाया नहीं गया है- इसे भी कुल व्यय में से हटाया जाना चाहिए।	वित्त लागत के अंतर्गत 'अन्य संबंधित प्रभार चेन्नई पत्तन न्यास और सीमाशुल्क को दिये बीजी के बैंक गारंटी कमीशन और सुविधा के लिए बैंक गारंटी तथा ऋणों पर ब्याज के रेट व टैक्स को दर्शाते हैं। विस्तृत व्यौरा नीचे दिया गया है। उक्त व्यय ऋण पर ब्याज की किस्म के नहीं हैं और इसलिए ग्राह्य नहीं है। <table><tr><th>व्यय की किस्म</th><th>वाई1-जनवरी 2015-मार्च-2016</th><th>वाई2 अप्रैल 2016-मार्च 2017</th><th>वाई3-अप्रैल 2017-मार्च 2018</th></tr><tr><td>बैंक गारंटी, कमीशन तथा प्रभार</td><td>1,39,74,73</td><td>125,25,812</td><td>115,26,707</td></tr><tr><td>सुविधा शुल्क</td><td>426,802</td><td>1541,071</td><td>269,880</td></tr><tr><td>ईसीबी, टीडीएस पर रेट व टैक्स</td><td>274,26,829</td><td>154,73,282</td><td>182,85,319</td></tr><tr><td>योग</td><td>418,28,365</td><td>295,40,165</td><td>300,81,906</td></tr></table>	व्यय की किस्म	वाई1-जनवरी 2015-मार्च-2016	वाई2 अप्रैल 2016-मार्च 2017	वाई3-अप्रैल 2017-मार्च 2018	बैंक गारंटी, कमीशन तथा प्रभार	1,39,74,73	125,25,812	115,26,707	सुविधा शुल्क	426,802	1541,071	269,880	ईसीबी, टीडीएस पर रेट व टैक्स	274,26,829	154,73,282	182,85,319	योग	418,28,365	295,40,165	300,81,906
व्यय की किस्म	वाई1-जनवरी 2015-मार्च-2016	वाई2 अप्रैल 2016-मार्च 2017	वाई3-अप्रैल 2017-मार्च 2018																			
बैंक गारंटी, कमीशन तथा प्रभार	1,39,74,73	125,25,812	115,26,707																			
सुविधा शुल्क	426,802	1541,071	269,880																			
ईसीबी, टीडीएस पर रेट व टैक्स	274,26,829	154,73,282	182,85,319																			
योग	418,28,365	295,40,165	300,81,906																			
(iv)	फार्म 1 में कार्यशील पूंजी के अंतर्गत 576.77 लाख रु. की राशि को मालसूची के रूप में दर्शाया गया है। इसमें 510.83 लाख रु. पूंजीगत स्पेयर्स और 65.94 लाख रु. अन्य मालसूची के हैं जिनमें ईंधन और	यह राशि अन्य मालसूची की छमाही औसत अपेक्षा को दर्शाती है। गणना इस प्रकार है: मरम्मत और अनुरक्षण – लेखापरीक्षित तुलन पत्र में अन्य जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक 151.85 लाख रु. है, 2016-17 में 131.77																				

	कार्यार्थी स्पेयर्स शामिल नहीं हैं जिन्हें कार्यशील पूंजी में 65.94 लाख रु. दर्शाया गया है।	लाख रु. तथा 2017-18 में 134.64 लाख रु. है। 132 लाख रु. प्रति वर्ष की औसत पर सुविचार किया गया है और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार छमाही 65.94 लाख ग्राह्य समझी गई है।												
(v)	प्रशुल्क 2019 को कार्यान्वित करने वाले कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.2 के साथ पठित प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार संविदात्मक दायित्वों और पट्टा किराया/ लाइसेंस शुल्क के अग्रिम भुगतान से प्रवाहित कार्यशील पूंजी के परिकलन के लिए संविदात्मक दायित्व के रूप में विविध देनदारों से प्रवाहित भूस्वामी पत्तनों को राजस्व हिस्सा/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान होता है। तथापि, राजस्व हिस्से, भू-पट्टे और के अग्रिम भुगतान तथा भूमि पट्टे और बिजली के सीएचपीटी के पास जमा के अतिरिक्त सीआईटीपीएल को फार्म 3में कार्यशील पूंजी के अंतर्गत 602.00 लाख रु. की राशि के व्यापार प्राप्त्य को अनुज्ञेय विविध के रूप में सुविचार में लेना होगा। सीआईटीपीएल यह नोट करे कि सीआईटीपीएल द्वारा सुविचारित व्यापार प्राप्त्य सीएचपीटी के साथ संविदात्मक करार के तहत नहीं आते और इसलिए यह विविध देनदारों के रूप में ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीएचपीटी को अग्रिम राजस्व हिस्से की राशि (790.00 लाख रु.), सीएचपीटी को अदा की गई अग्रिम भू पट्टा जमा की राशि (.552.00 रु.) और सीएचपीटी के पास भू-पट्टा और बिजली के लिए अग्रिम जमा (966.00 रु.) के समर्थन में गणना प्रस्तुत करें।	प्राधिकरण की टिप्पणियों के आधार पर व्यापार प्राप्त्य को विविध देनदारों की कम के रूप में हटा दिया गया है। संशोधित फार्म प्रस्तुत है। लेकिन, हम प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण के 6.7.19 के कार्यकारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हैं। बीओटी प्रचालकों ने व्यापार प्राप्त्यों को भी विविध देनदारों के रूप में शामिल किये जाने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने पुष्टि की थी इस मामले पर अलग से विचार किया जायेगा। 602 लाख रु. की राशि 31 मार्च 2018 को व्यापार प्राप्त्य को दर्शाती है, जैसा सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट से देखा जा सकता है। यह व्यापार से 4-5 दिन के प्राप्त्य हैं। सीआईटीपीएल दरमानों के खंड 2 (iii) (x) के अनुसार सभी बीजक प्रस्तुत किये जाने पर देय होते हैं और 4-5 दिन सामान्य एकत्रीकरण अवधि होती है। उक्त पर सुविचार करके, हम अनुरोध करते हैं कि 602 लाख रु. के व्यापार प्राप्त्य को विविध देनदार माना जाए। मार्च 2018 को एमजीटी के अनुसार अग्रिम राजस्व हिस्से का परिकलन निम्नवत् है: <table><tr><th>विवरण</th><th>राशि रु. में</th></tr><tr><td>राजस्व हिस्सा</td><td>6,43,29,000/-</td></tr><tr><td>एसजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%</td><td>57,89,610/-</td></tr><tr><td>सीजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%</td><td>57,89,610/-</td></tr><tr><td>राजस्व हिस्सा + सेवा कर (एसबीसी सहित)</td><td>7,59 08,220/-</td></tr><tr><td>अग्रिम राजस्व हिस्सा</td><td>7,59,08,220/-</td></tr></table> 2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार भू-भाटक 935 लाख रु. है। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार, सीआईटीपीएल भू-भाटक सीएचपीटी को लाइसेंस करार के अनुसार अग्रिम में भुगतान करता है। कार्यकारी दिशानिर्देशों के अनुसार भू-भाटक का 50% सुविचार में लेना है जो इस प्रकार निकलता है 935 लाख रु. का 50% 467.50 लाख रु. + जीएसटी 18% 84.15 लाख रु. योग 552 लाख रु.। सीआईटीपीएल ने सीएचपीटी के 18 जुलाई 2018 के पत्र संख्या एओ (किराया)/एसडी पुष्टि/2018/एफआर की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें सीएचपीटी ने पुष्टि की है सीएचपीटी को आवंटित क्षेत्र के लिए 31.03.2018 को प्रतिभूति जमा शेष इस प्रकार है:	विवरण	राशि रु. में	राजस्व हिस्सा	6,43,29,000/-	एसजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%	57,89,610/-	सीजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%	57,89,610/-	राजस्व हिस्सा + सेवा कर (एसबीसी सहित)	7,59 08,220/-	अग्रिम राजस्व हिस्सा	7,59,08,220/-
विवरण	राशि रु. में													
राजस्व हिस्सा	6,43,29,000/-													
एसजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%	57,89,610/-													
सीजीएसटी राजस्व हिस्से पर @ 9%	57,89,610/-													
राजस्व हिस्सा + सेवा कर (एसबीसी सहित)	7,59 08,220/-													
अग्रिम राजस्व हिस्सा	7,59,08,220/-													

		<table><tr><th>विवरण</th><th>राशि रु. में</th></tr><tr><td>भू भाटक जमा</td><td>8,30,69,161/-</td></tr><tr><td>किराया जमा</td><td>5,87,511/-</td></tr><tr><td>मार्गाधिकार जमा (लाइसेंस करार के अनुसार 15955/-रु. है। पाइपलाइन 6164/-रु. और एचडी केवल 27648/-रु. है।)</td><td>49,767/-</td></tr></table>	विवरण	राशि रु. में	भू भाटक जमा	8,30,69,161/-	किराया जमा	5,87,511/-	मार्गाधिकार जमा (लाइसेंस करार के अनुसार 15955/-रु. है। पाइपलाइन 6164/-रु. और एचडी केवल 27648/-रु. है।)	49,767/-																						
विवरण	राशि रु. में																															
भू भाटक जमा	8,30,69,161/-																															
किराया जमा	5,87,511/-																															
मार्गाधिकार जमा (लाइसेंस करार के अनुसार 15955/-रु. है। पाइपलाइन 6164/-रु. और एचडी केवल 27648/-रु. है।)	49,767/-																															
(vi)	सीआईटीपीएल के पास प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार रोकड़ व्ययों, जो एक महीने के रोकड़ व्ययों तक सीमित होता है, के अतिरिक्त बैंक गारंटियों पर 1054.18 लाख रु. की धारणाधिकार राशि भी है जिसे अनुज्ञेय रोकड़ शेष के रूप में लिया गया है। चूंकि इस धारणाधिकार अंकित बैंक गारंटी को लेखाओं में जमा के रूप में दर्शाया गया है, और यह एक माह के रोकड़ व्ययों के अंतर्गत नहीं आती इसलिए यह एक माह के नकद व्यय के रूप में सुविचार की पात्र नहीं है।	प्राधिकरण की टिप्पणी के आधारपर अनुज्ञेय रोकड़ शेष में भी धारणाधिकार सावधि जमा को निकाल दिया गया है।																														
(vii)	खंड 3.1.3 (क) और 3.3.3 (क) का मौजूदा प्रशुल्क, कंटेनर यार्ड में आंतरिक अंतरण वाहन से/को लिफ्ट ऑन/ऑफ 40' से अधिक लंबे (तटीय कंटेनर) पर 425.66 रु. प्रति कंटेनर उगाहा जा रहा है, जिसे सीआईटीपीएल द्वारा प्रारूप प्रस्तावित दरमान में उगाहा जाना जारी रखा है। लेकिन, फार्म-4 में सीआईटीपीएल ने प्रशुल्क के मौजूदा और प्रस्तावित प्रशुल्क स्तर पर राजस्व आकलन करते समय 426.66 रु. प्रति कंटेनर पर सुविचार किया है। सीआईटीपीएल फार्म-4 में राजस्व परिकलन की समीक्षा कर संशोधित करे।	खंड 3.1.3 (क) 3.3.3 (क) में लिपिकीय अशुद्धि है। संशोधित फार्म 4 प्रस्तुत है।																														
(viii)	कंटेनर भंडारण से राजस्व (खंड 3.11) का प्रशुल्क के प्रस्तवित स्तर पर आकलन 540 लाख रु. किया है। लेकिन, सीआईटीपीएल ने फार्म-4 में कोई गणना प्रस्तुत नहीं की है। कंटेनर भंडारण राजस्व का निर्धारण करने के लिए गणना प्रस्तुत करें।	मौजूदा आयात कंटेनर का औसत ठहराव समय 1.93 दिन है। निर्यात ठहराव औसत समय 2.72 दिन और डीपीडी ठहराव औसत 2.83 दिन है। कंटेनर भंडारण से राजस्व निम्नलिखित गणना के आधार पर निकाला गया है: दरमानों के अनुसार भंडारण दरें: <table><tr><th>आयात</th><th colspan="2">राशि अ.डॉलर में</th></tr><tr><td></td><th>20'</th><th>40'</th></tr><tr><td>0-3 दिन</td><td>निशुल्क</td><td>निशुल्क</td></tr><tr><td>4-15 दिन</td><td>5.50</td><td>11.00</td></tr><tr><td>16-30 दिन</td><td>11.00</td><td>22.00</td></tr><tr><td>30 दिन से आगे</td><td>22.00</td><td>44.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>निर्यात</td><th colspan="2">राशि अ.डॉलर में</th></tr><tr><td></td><th>20</th><th>40'</th></tr><tr><td>0-7 दिन</td><td>निशुल्क</td><td>निशुल्क</td></tr></table>	आयात	राशि अ.डॉलर में			20'	40'	0-3 दिन	निशुल्क	निशुल्क	4-15 दिन	5.50	11.00	16-30 दिन	11.00	22.00	30 दिन से आगे	22.00	44.00				निर्यात	राशि अ.डॉलर में			20	40'	0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क
आयात	राशि अ.डॉलर में																															
	20'	40'																														
0-3 दिन	निशुल्क	निशुल्क																														
4-15 दिन	5.50	11.00																														
16-30 दिन	11.00	22.00																														
30 दिन से आगे	22.00	44.00																														
निर्यात	राशि अ.डॉलर में																															
	20	40'																														
0-7 दिन	निशुल्क	निशुल्क																														

8-15 दिन	5.50	11.00
16-30 दिन	11.00	22.00
30 दिन से आगे	22.00	44.00

विनिमय दर 1 अ. डॉलर = 70/-रु.

विवरण	कुल यूनिट	प्रमात्रा यूनिट		भंडारण (लाख रु. में)	
		निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
प्रति एफसीएल					
- 20	263751	79125	184626	15.23	213.24
- 20' से 40	168144	50443	117701	38.84	271 89
- 40' से अधिक	149	45	104	0.03	0.24
प्रति खाली					
- 20'	93647	93647	0	0	0
- 20' से 40	36793	36793	0	0	0
- 40' से अधिक	26	26	0	0	0
				54.11	485.37
				539.4	

8. संदर्भाधीन मामले में, 13 सितंबर, 2019 को सीएचपीटी परिसर चेन्नई में एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, सीआईटीपीएल ने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में सीआईटीपीएल, प्रयोक्ता संगठनों और सीएचपीटी ने अपने-अपने निवेदन रखे।

9.1. जैसा पहले चर्चा की गई है, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में पारित प्राधिकरण के पिछले प्रशुल्क आदेश पर रोक लगा रखी है और सीआईटीपीएल को तत्समय लागू प्रशुल्क को उगाहने की अनुमति दे रखी है, जो प्राधिकरण के 03 नवंबर 2010 के आदेश के अनुसार हैं। न्यायालय का उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है।

9.2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च न्यायालय के अनुमत दरमानों की समीक्षा के लिए सीआईटीपीएल का प्रस्ताव दायर करना, परिणामस्वरूप इस प्राधिकरण द्वारा उस प्रस्ताव की विवेचना करना, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करना और सीआईटीपीएल द्वारा आदेश को कार्यान्वित करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा। इस बारे में सीआईटीपीएल से 01 अगस्त, 2019 के पत्र द्वारा संयुक्त सुनवाई से पहले अनुरोध किया गया था कि वे माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करें कि उन्होंने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत इस प्राधिकरण के पास अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है।

9.3. 03 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2019 के अनुस्मारकों के पश्चात् सीआईटीपीएल ने अपने 01 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा यह बताया कि उसने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की रिट याचिका संख्या 2012 की 11010 के अंतर्गत विविध रिट याचिका संख्या 2019 की 30768 दायर की है जिसमें उच्च न्यायालय को यह सूचित किया गया है कि सीआईटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का प्रव्रजन किया है।

9.4. रिट याचिका 2012 की 11010 में की गई प्रार्थना :

“टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल दिनांक 06.01.2012, 14.02.2012 करे अधिसूचित, आरोप्य आदेश से संबंधित रिकार्ड और कार्यवाहियां मंगवाने के लिए तथा उनकी विविधता और वैधता के लिए उत्प्रमाणिकृत परमादेश रिट और/अथवा उत्प्रमाणिकृत परमादेश किस्म की रिट और/अथवा अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और मंसूख करने तथा अपास्त करने की कृपा करें और दूसरे प्रतिवादी, भारत संघ को महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 54 के तहत प्रथम प्रतिवादी, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को 06.01.2012, 14.02.2012 को अधिसूचित आदेश संख्या टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल को आशोधित करने का आदेश दे कि व अन्य ऐसी मागों को पारित करे जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार योग्य हो तथा इस प्रकार न्याय हो सके”

2019 की विविध रिट याचिका संख्या 30768 में संशोधित प्रार्थना इस प्रकार है:

“प्रथम प्रतिवादी के 14.02.2012 को अधिसूचित, आदेश संख्या टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल से संबंधित रिकार्ड और अन्य कार्यवाहियां मंगवाने के लिए उत्प्रमाणित परमादेश रिट अथवा अन्य कोई रिट या आदेश या रिट की किस्म का निर्देश जारी करें और उसे मंसूख करें तथा प्रथम प्रतिवादी को निर्देश दें कि वह वादी के 14.10.2011 के आवेदन पर 14.02.2012 को अधिसूचित, 06.01.2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/51/2012-सीआईटीपीएल को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के समान आशोधित करते हुए न्याय करें”

9.5. विविध रिट याचिका के द्वारा सीआईटीपीएल ने माननीय उच्च न्यायालय को उसके द्वारा 2012 की रिट याचिका संख्या 11012 में की गई अपनी प्रार्थना को आशोधित करते हुए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को 14 अक्टूबर, 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव देने की प्रार्थना की है। इस प्रकार सीआईटीपीएल ने माननीय न्यायालय को यह सूचना देते हुए शपथ-पत्र की प्रति प्रस्तुत करने की कि सीआईटीपीएल इस प्राधिकरण के समक्ष प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है के स्थान पर यह प्रार्थना करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को पूर्वव्यापी प्रभाव देने संबंधि विविध रिट याचिका की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त विविध रिट याचिका में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में कहीं भी यह सूचित नहीं किया गया है कि सीआईटीपीएल ने इस प्राधिकरण के समक्ष प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है।

10.1. प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 1.9 के अनुसार बीओटी प्रचालक संबंधित महापत्तन न्यास के साथ किये गए मौजूदा रियायत करार में अंतर्निहित उपबंधों का पालन करना जारी रखेंगे। साथ ही, बीओटी प्रचालक इस दिशानिर्देश का पालन करने की सहमति, संबंधित महापत्तन न्यास के साथ भिन्न करार करते हुए देंगे। इस संबंध में, एमओएस ने अपने 8 मार्च 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग.IV) के द्वारा सभी महापत्तनों न्यासों को अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए अंतिम भिन्न करार की प्रति भी भेजी है।

10.2. इस प्रकार, संदर्भाधीन मामले में संयुक्त सुनवाई के दौरान, सीआईटीपीएल को सीएचपीटी और सीआईटीपीएल के बीच विधिवत हस्ताक्षरित भिन्न करार की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। 03 अक्टूबर और 22 अक्टूबर 2019 के अनुस्मारकों के पश्चात् सीआईटीपीएल ने 01 नवंबर 2019 के अपने पत्र के साथ, एमओएस द्वारा यथाप्रस्तावित प्रपत्र में, सीएचपीटी और सीआईटीपीएल के बीच विधिवत् हस्ताक्षरित भिन्न करार की प्रति भेजी।

11. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों के उद्धरण और उनके द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. इस मामले में कार्रवाई के दौरान प्राप्त संपूर्ण सूचना के संबंध में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

- (i) चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) के दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार, प्रमुख दिशानिर्देश 2005 का अनुपालन करते हुए 06 जनवरी, 2012 के आदेश के द्वारा संशोधित किये गए थे। उक्त आदेश के द्वारा इस प्राधिकरण ने सीआईटीपीएल के तत्समय प्रचलित प्रशुल्क पर (यानी 3 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/10/2009-सीआईटीपीएल द्वारा सीआईटीपीएल के अनुमोदित प्रशुल्क) अक्रास दा बोर्ड 12.23% घटौती प्रभावी की गई थी। प्रशुल्क में उक्त घटौती से व्यथित सीआईटीपीएल ने जनवरी 2012 के प्रशुल्क आदेश को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश के लागू करने पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता यानी सीआईटीपीएल को पुरानी दरें प्रभारित करते रहने की अनुमति दे दी। माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका पर निपटान अभी प्रतीक्षित है।
- (ii) इसी बीच पोत परिवहन मंत्रालय ने, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त नीति निर्देश के रूप में, बीओटी ऑपरेटरों के लिए टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 जारी किया है, जो पहले 2005 टैरिफ दिशानिर्देशों द्वारा शासित थे। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा टैरिफ दिशानिर्देशों, 2019 के मुद्दे के परिणामस्वरूप, सीआईटीपीएल के प्रशुल्क निर्धारित का कार्य प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं द्वारा शासित होगा।
- (iii) इस पृष्ठभूमि में सीआईटीपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत अपने प्रशुल्क में 01 सितंबर, 2019 से 31 अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए जुलाई 2019 में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आया। सीआईटीपीएल द्वारा चाहा गया संशोधन इस प्राधिकरण के 3 नवंबर, 2010 के आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क पर मांगा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर सीआईटीपीएल द्वारा अभी भी उगाहे जा रहे हैं।
- (iv) सीआईटीपीएल ने जुलाई, 2019 में अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव दायर किया। तत्पश्चात्, अक्टूबर, 2019 में हमारे द्वारा उड़ाये गए मुद्दों का उत्तर देते समय, सीआईटीपीएल ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और कुछ गलतियों में सुधार किया। सीआईटीपीएल ने 8 अक्टूबर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा आशोधित गणनाओं, सीआईटीपीएल द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण को इस विश्लेषण के प्रयोजन से सुविचार में लिया जाता है:-
- (v) (क) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.1 प्रत्येक बीओटी प्रचालक से वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के निर्धारित की अपेक्षा करता है जो प्रस्ताव के प्रस्तुत करते समय तत्काल पहले के तीन वर्षों (वाई1), (वाई2) और (वाई3) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार औसत व्ययों के योग की औसत है तथा यह प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के और इस प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित कुछेक उपावर्जनों के अधीन होगा जमा वाइ3 के 31 मार्च को ली गई नियोजित पूंजी के 16% पर प्रतिफल लिया जायेगा जो एक व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार/लागत लेखकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो।
- (ख) वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटीपीएल का लेखापरीक्षित वार्षिक लेख 15 महीने की अवधि के हैं। इसलिए, एआरआर के परिकलन के प्रयोजन से सीआईटीपीएल ने 12 महीने की अवधि के लिए यथानुपात आंकड़ों पर समानुपातिक सुविचार किया है, जिस पर इस विश्लेषण में विचार के लिए लिया जाता है।

(ग) सीआईटीपीएल ने पिछले 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2015-16 (वाई1), वर्ष 2016-17 (वाई2) और वर्ष 2017-18 (वाई3) के व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के आधार पर वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का आकलन किया है। एआरआर का आकलन करते समय सीआईटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में यथानिर्धारित अपवर्जनों का अपवर्जन किया है। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में यथानिर्धारित अपवर्जनों और कार्यकारी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप सीआईटीपीएल ने निम्नलिखित समंजन किये हैं जिन पर चर्चा में विशेष उल्लेख किया जाता है:

(i) प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.2 अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबद्ध करता है कि बीओटी प्रचालक द्वारा स्वामी पत्तन रॉयल्टी/राजस्व को प्रशुल्क परिकलन के लिए यथाग्राह्य लागत के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगा जैसा पोत परिवहन मंत्रालय के 29 जुलाई, 2003 के आदेश सं. पीआर-14019/6/2002-पीजी में निर्णय लिया गया था। खंड 2.3.1 (i) भी यह अनुबद्ध करता है कि रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा भुगतान की हद तक प्रशुल्क निर्धारण के लिए ग्राह्य नहीं है और इसका अपवर्जन करना होगा, इस प्रकार यह खंड 2.2 में निर्धारित उपबंधों के अनुरूप है। तदनुसार, सीआईटीपीएल द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीएल को दिया गया राजस्व हिस्सा, सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में यथाप्रदर्शित 130.94 करोड़ (वर्ष 2015-16 में 12 महीने की अवधि के लिए अनुपातिक 104.75 करोड़ रु.) 130.72 करोड़ रु. और 137.64 करोड़ रु. क्रमशः वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए हैं को सीआईटीपीएल द्वारा अपवर्जित कर दिया गया।

(ii) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.3.1 (ii) के अनुसार ऋणों पर ब्याज, अप्राप्य और संदिग्ध उधारों के लिए प्रावधान, कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान आदि भी अपवर्जित किये जाने हैं।

सीआईटीपीएल के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं में वित्त लागतों की अनुसूची सावधि ऋण पर ब्याज, वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज और अन्य संबंधित प्रभारों पर ब्याज पर व्यय दर्शाये गए हैं। 'अन्य संबंधित प्रभारों पर ब्याज' को सीआईटीपीएल ने स्पष्ट किया कि वित्त लागत के अंतर्गत 'अन्य संबंधित प्रभार चेन्नई पत्तन न्यास और सीमाशुल्क को दिये बीजी के बैंक गारंटी कमीशन और सुविधा के लिए बैंक गारंटी तथा ऋणों पर ब्याज के रेट व टैक्स को दर्शाते हैं। चूंकि दिखाया गया व्यय ऋणों पर ब्याज की किस्म का नहीं है, इसलिए उसे एआरआर परिकलन में उपवर्जन के लिए सुविचार में नहीं लिया गया। इस प्रकार, सावधि ऋण पर ब्याज और बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर 54.99 करोड़ रु. (वर्ष 2015-16 में 12 महीने के लिए अनुपातिक रूप से 43.99 करोड़ रु. सुविचारित) 40.03 करोड़ रु. और 33.23 करोड़ रु. के ब्याज को जैसा सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में क्रमशः वर्ष 2015-16 से 2017-18 में दर्शाये गए हैं, को सीआईटीपीएल द्वारा अपवर्जित किया गया है।

इसी प्रकार, संदिग्ध ऋण के लिए वर्ष 2016-17 में 1.15 लाख रु. का प्रावधान भी सीआईटीपीएल द्वारा अपवर्जित किया गया है।

(iii) खंड 2.3.2 अनुबद्ध करता है कि यदि इंड एस और आईजीएपी के अंतर्गत दर्शाये गए व्यय में विचलन है (जैसे मूल्यहास) तो इंड एस के आंकड़ों को छोड़ते हुए और आईजीएपी के आंकड़ों के सुविचार में लेते हुए एआरआर परिकलन में आवश्यक समंजन

किये जाए। इस संबंध में यह देखा गया है कि सीआईटीपीएल के लेखापरीक्षित लेखे आईजीएएपी के अनुसार तैयार किये गए हैं। ऐसी स्थिति में एआरआर परिकलन में कोई समंजन नहीं किया जाना है।

- (vi) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 और कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित उपबंधों का अनुपालन करते हुए और समंजनों के आधार पर, जेसी ऊपर चर्चा की गई है, सीआईटीपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.4 में निर्धारित अनुबद्धताओं के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक 118.27 करोड़ रु. के औसत व्यय पर पहुंचा है।
- (vii) (क) सीआईटीपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.5 में निर्धारित उपबंधों के अनुसरण में नियोजित पूंजी निकाली है। सीआईटीपीएल ने 31 मार्च, 2018 को सकल स्थायी आस्तियों (मूर्त और अमूर्त आस्तियों सहित) पर सुविचार किया है जैसा आईजीएएपी के अनुसार रखे जा रहे लेखा परीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं में कोई प्रगति अधीन पूंजी नहीं दर्शायी गई है।
- (ख) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार कार्यशील पूंजी में माल सूची, विविध देनदार और रोकड़ शेष लिये जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि मालसूची और रोकड़ शेष प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार परिकलित किये गए हैं।

जहां तक विविध देनदारों का संबंध है, दिशानिर्देश प्रशुल्क 2019 को कार्यान्वित करने वाले कार्यकारी दिशानिर्देश के साथ पठित प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 के अनुसार संविदात्मक दायित्वों और पट्टा किराया/ लाइसेंस शुल्क के अग्रिम भुगतान से प्रवाहित कार्यशील पूंजी के परिकलन के लिए संविदात्मक दायित्व के रूप में विविध देनदारों से प्रवाहित भूस्वामी पत्तनों को राजस्व हिस्सा/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान होता है। तथापि, राजस्व हिस्से, भू-पट्टे और के अग्रिम भुगतान तथा भूमि पट्टे और बिजली के सीएचपीटी के पास जमा के अतिरिक्त सीआईटीपीएल को फार्म 3 में कार्यशील पूंजी के अंतर्गत 602.00 लाख रु. की राशि के व्यापार प्राप्य को अनुज्ञेय विविध के रूप में सुविचार में लेना होगा। 1 चूंकि सीआईटीपीएल द्वारा सुविचारित व्यापार प्राप्तव्य सीएचपीटी के साथ संविदात्मक बाध्यता के कारण नहीं हुए हैं, हमारे विशिष्ट अनुरोध पर सीआईटीपीएल ने विविध देनदारों के शेष में से व्यापार प्राप्तव्यों को अपवर्जित किया। लेकिन, सीआईटीपीएल ने फिर से अनुरोध किया कि 602 लाख रु. के व्यापार प्राप्तव्यों के विविध देनदारों में दर्शाने पर सुविचार इस आधार पर करे कि यद्यपि सभी बीजक प्रस्तुत करने पर देय होते हैं और उक्त राशि व्यापार से 4-5 दिन के प्राप्तव्य को दर्शाती है, जो सामान्य वसूली अवधि होती है।

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 58 के अनुसार उतारे जाने वाले माल की दरें माल के उतरते ही तत्काल अदा करनी होती है और बोर्ड के परिसर से हटाये जाने वाले या निर्यात के लिए लदान या पोतांतरित किये जाने वाले माल के संबंध में दरें माल के इस प्रकार हटाये जाने, लदान अथवा पोतांतरण से पूर्व अदा करनी होती हैं। सीआईटीपीएल द्वारा अनुमत 4-5 दिन की समयवधि उसके अपने विवेकाधिकार में प्रतीत होती है। उक्त सांविधिक उपबंध को देखते हुए यह प्राधिकरण इस स्थिति में नहीं है कि व्यापार प्राप्यव्यों के विविध देनदारों के रूप में शामिल करने के सीआईटीपीएल के अनुरोध का स्वीकार किया जा सके।

विविध देनदारों का भाग बन रहे अन्य घटकों का जहां तक संबंध है, सीआईटीपीएल ने सीएचपीटी को अग्रिम राजस्व हिस्सा (759 लाख रु.) और सीएचपीटी को भुगतान किया गया अग्रिम भू-भाटक जमा (552/-लाख रु.) की राशि के समर्थन में गणना प्रस्तुत की है। जहां तक भू-भाटक और बिजली के लिए सीएचपीटी के पास जमा का संबंध है, यद्यपि सीएचपीटी ने इस हिसाब में

966/- लाख रु. की राशि सुविचारित की है, सीएचपीटी का 18 जुलाई 2018 के पत्र संख्या एओ(किराया)/एसडी कंनफर्मेशन/2018/एफआर की प्रति, सीआईटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तुत, से 31 मार्च 2018 को विभिन्न प्रकार के जमा राशियों 837.06 लाख रु. की पुष्टि करती है। सीआईटीपीएल द्वारा सुविचारित 966 लाख रु. और सीएचपीटी द्वारा पुष्टि की गई 837.06 लाख रु. के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः विश्लेषण में 837.06 लाख रु. राशि को ही जमा के रूप में सुविचार में लिया जाता है।

(ग) संशोधित कार्यशील पूंजी सहित कुल नियोजित पूंजी 855.84 करोड़ रु. बनती है। जबकि सीआईटीपीएल ने 857.12 करोड़ रु. नियोजित पूंजी के लिए हैं।

(घ) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.7 के अनुसार, नियोजित पूंजी पर 16% पर प्रतिफल, संशोधित नियोजित पूंजी पर 136.94 करोड़ रु. निकलता है, जिस पर एआरआर परिकलन में सुविचार में लिया जाता है।

(viii) 31 मार्च, 2018 को एआरआर वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्यय का औसत 118.27 करोड़ रु. कुल मिला कर 255.21 करोड़ रु. बनता है। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के लिए लागू थोक मुद्रा सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 100% पर 3.45% से सूचकांकित किया गया है। अधिकतम सूचकांकित एआरआर वर्ष 2018-19 के लिए 264.01 करोड़ रु. निकलता है। प्रस्तुत एआरआर परिकलन का ब्यौरा अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। अधिकतम सूचकांकित एआरआर का सार नीचे दिया जा रहा है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	एआरआर परिकलन
1	औसत व्यय $[Y1+Y2+Y3]/3$	118.27
2	31.03.2018 को प्रगति अधीन पूंजी सहित 31.03.2018 को नियोजित पूंजी और प्रतिमानों के अनुसार कार्यशील पूंजी	855.84
3	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल @ 16%	136.94
4	31 मार्च 2018 को एआरआर (4=1+3)	255.21
5	डब्ल्यूपीआई के 100% पर वर्ष 2018-19 के लिए लागू (3.45%) पर एआरआर में सूचकांकन	264.01
6	अधिकतम सूचकांकित एआरआर	264.01
7	प्रस्तावित दर पर सीआईटीपीएल द्वारा आकलित राजस्व	262.48

ऊपर क्रमांक 6 पर यथानिर्धारित अधिकतम सूचकांकित एआरआर हैं जिसके आधार पर सीआईटीपीएल ने, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.9 के अनुसार, प्रस्तावित दरमान तैयार किये हैं।

(ix) (क) दरमान तैयार करने के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, सुविचारित किये जाने वाला यातायात वार्ड1, वार्ड2 और वार्ड3 वर्षों के दौरान बीओटी प्रचालक द्वारा वास्तविक प्रहसित यातायात का औसत होगा जो संबंधित पत्तन द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। सीआईटीपीएल सुविचारित 2015-16 से 2017-18 औसत यातायात 812243 टीईयू है।

सीएचपीटी द्वारा किसी प्रतिकूल दृष्टिकोण के अभाव में, यह मान लिया जाता है कि सीएचपीटी ने अपनी गणना में सुविचार में लिया है।

- (ख) प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी प्रचालकों को यह छूट प्राप्त है कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों का निर्धारित करें और दरमान अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर रखें और यह व्यवसायगत चार्टरित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित हो।

सीआईटीपीएनल ने राजस्व आकलन की विस्तृत गणना प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए तुलनात्मक औसत यातायात के लिए प्रस्तावित दरमान में प्रत्येक मद को दर्शाया है। राजस्व आकलन विवरण को चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

- (ग) प्रस्तावित दरमान तैयार करते समय, यह पाया जाता है कि सीआईटीपीएल ने प्रशीतन प्रभारों में 10% की वृद्धि और खतरनाक तथा ओओजी कंटेनरों के प्रभारों में 12.5% की वृद्धि के सिवा, सीआईटीपीएल द्वारा उगाहे जा रहे मौजूदा प्रशुल्कों की यथास्थिति बनाये रखने का प्रस्ताव किया है। प्रशीतन प्रभारों में वृद्धि बिजली की लागतों को पूरा करने के लिए की जा रही है और खतरनाक तथा ओओजी कंटेनरों के प्रभारों में वृद्धि स्लिंग प्रचालन की वजन से अतिरिक्त क्रेन समय की जरूरत पड़ने के कारण है।

उक्त स्थिति के आधार पर, सीआईटीपीएल द्वारा प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व आकलन 262.48 करोड़ रु. किया गया है। यह अधिकतम सूचकांकित एआरआर 264.01 करोड़ रु. से कम है, जैसी पहले चर्चा की गई है और इस प्रकार 1.53 करोड़ रु. का अंतर है, जिसे सीआईटीपीएल द्वारा आरक्षित छोड़ दिया गया है।

- (घ) प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी प्रचालकों को यह छूट प्राप्त है कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों का निर्धारित करें और दरमान अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर रखें। प्रस्तावित प्रशुल्क पर सीआईटीपीएल द्वारा आकलित राजस्व अधिकतम एआरआर के भीतर है और प्रस्तावित प्रशुल्क पर आकलित राजस्व चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित है।

- (ख) (क) सीआईटीपीएल के संशोधित दरमान पर चर्चा करते से पूर्व, यहां प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1 की ओर ध्यानकर्षण कराना समीचीन होगा जो अनुबद्ध करता है कि उप बीओटी प्रचालकों के मामले में जिनके प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा पारित प्रशुल्क आदेशों पर उच्च न्यायालयों में लंबित अभियोगों के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी है अभियोग की अवधि के दौरान होने वाला ग्राहक लागतों और अनुमत प्रतिलाभ अतिरेक/घाटा यदि कोई हो, उच्च न्यायालय द्वारा तत्संबंधी आदेश या एमओएस, संबद्ध महापत्तन न्यास संबंधित बीओटी प्रचालक और इस प्राधिकरण द्वारा सामूहिक संव्यवहार के अधीन होगा।

- (ख) पूर्वावधि अतिरेक की विवेचना के बारे में प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1 में यथा अनुबद्ध और सीआईटीपीएल और पीएसए, एसआईसीएल (बी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास पर एक बीओटी प्रचालक) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/सूचना के आधार पर उन बीओटी प्रचालकों के मामले में जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में गए हैं और इस प्राधिकरण द्वारा पारित पिछले प्रशुल्क आदेशों के विरुद्ध रोक प्राप्त कर लिए हैं, अभियोजन अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रतिफल के संव्यवहार पर निर्णय लेने के लिए एक प्रारूप नीति तैयार की गई है और हमारे 26 अप्रैल, 2019 के पत्र संख्या टीएएमपी/61/2018-विविध के द्वारा एमओएस को भेज दी गई है ताकि एमओएस संबंधित बीओटी प्रचालकों, संबंधित महापत्तन न्यासों और इस प्राधिकरण से चर्चा कर

सके। इस संबंध में हमारे 23 जुलाई, 2019 और 18 नवंबर, 2019 के पत्रों द्वारा एमओएस को अनुस्मारक भी भेजे गए हैं। एमओएस का उत्तर प्रतीक्षित है।

- (ग) इस प्रकार यह बताया जाता है कि सीआईटीपीएल के मामले में न तो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका संख्या 11010 और 11011 पर आदेश पारित करते हुए निपटान किया है, ताकि अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का मार्ग खुल सके, और न ही एमओएस ने अभियोग अवधि के दौरान ग्राहक लागतों और अनुज्ञेय प्रतिलाभों से अधिक होने वाले अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार के बारे में कोई निर्णय प्राप्त हुआ है। दूसरे शब्दों में, न ही तो अभियोग अवधि के दौरान अतिरेक के निर्धारित की कोई प्रणाली है और न ही अभियोग अवधि के दौरान अतिरेक के संव्यवहार संबंधी कोई नीति बन पाई है।
- (xi) अभियोग अवधि के दौरान पिछली अवधि के अतिरेक के किसी समायोजन को प्रभावित किये बिना, सीआईटीपीएल द्वारा प्रशुल्क क आकलित स्तर पर सीआईटीपीएल द्वारा उगाहे जा रहे दरों के मौजूदा स्तर में यथास्थिति बनाये रखते हुए 262.48 करोड़ रु. की आय का प्रस्ताव किया है, यानी न्यायालय अनुमति प्रशुल्क सिवा प्रशीतन प्रभारों में 10% की वृद्धि और खतरनाक तथा ओओजी कंटेनरों के प्रभारों में 12.5% की वृद्धि के सीआईटीपीएल एआरआर को पूरा करने में उक्त आकलित आय के साथ 1.53 करोड़ रु. के अंतर को आरक्षित छोड़ दिया है। यदि 264.01 करोड़ रु. के एआरआर में अतिरेक का कोई समंजन किया जाता है यह एआरआर को और कम कर देगा और फलस्वरूप प्रशुल्क के मौजूदा स्तर में यानी न्यायालय अनुमत प्रशुल्क में, कमी करनी पड़ेगी। इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यदि न्यायालय अनुमत प्रशुल्क में इस प्राधिकरण द्वारा कोई कमी की जाती है और वह भी बिना किसी नीति के, इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और यदि इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क में कोई कटौती की जाती है और सीआईटीपीएल इस प्राधिकरण के प्राप्त आदेश को चुनौती देता है तो यह न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी। जहां तक सीआईटीपीएल द्वारा प्रशीतन और खतरनाक और ओओजी कंटेनरों के प्रभारों में वृद्धि मांगे जाने का संबंध है, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.11.1 बीओटी प्रचालकों को एआरआर के भीतर प्रशुल्क निर्धारित की छूट देता है।
- (xii) सीआईटीपीएल द्वारा अपने प्रशुल्क की समीक्षा के लिए दायर किया गया प्रस्ताव निपटान के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष है। प्रशुल्क दिशानिर्देश का खंड 4.6 अनुबद्ध करता है कि प्राधिकरण बीओटी प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सकारण आदेश पारित करेगा और दरमानों को प्रस्ताव दायर होने की तारीख से 60 दिन के भीतर सरकारी बजट में अधिसूचित करेगा। सीआईटीपीएल द्वारा जुलाई 2019 में प्रस्ताव दायर किया गया था। सीआईटीपीएल और सीएचपीटी समय पर उत्तर प्राप्त न होने और परामर्श प्रक्रिया में लगे समय के कारण दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित समय सीमा पहले ही निकल चुकी है।
- वास्तव में और ऊपर चर्चित मामले की स्थितियों को देखते हुए यह प्राधिकरण मौजूदा दरों के स्तर में यथास्थिति बनाये रखते हुए और प्रशीतन प्रभारों तथा खतरनाक और ओओजी कंटेनरों के प्रभारों में सीआईटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित वृद्धि को अनुमत करते हुए सीआईटीपीएल के प्रस्ताव को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।
- सीआईटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित दरों को अनुमोदित करते हुए, सीआईटीपीएल को यह सूचित किया जाता है कि जब माननीय मद्रास उच्च न्यायालय 2012 की रिट याचिका संख्या 11010 और 11011 का निपटान करते हुए आदेश पारित करेगा जिससे अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का मार्ग प्रशस्त होगा अथवा अभियोग की अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रतिलाभ से अधिक अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार पर एमओएस से निर्णय प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, सीआईटीपीएल के अब अनुमोदित प्रशुल्क तब समीक्षा के अधीन होंगे ताकि अभियोग अवधि के दौरान हुए अतिरेक के प्रभाव को लेखबद्ध किया जा सके।
- (xiii) यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हमने अपने 24 जुलाई 2015 के पत्र संख्या टीएएमपी/46/2015-विविध के द्वारा यह संसूचित किया था कि चुनौती दिये गए प्रशुल्क आदेश से तत्काल पहले के

प्रशुल्क चक्र के लिए अतिरिक्त का प्रमाणीकरण और सीआईटीपीएल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिये गए उक्त प्रशुल्क आदेश में निर्धारित प्रशुल्क की पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 12 जून, 2015 के पत्र 14019/20/2009-पीजी के आधार पर समीक्षा की जायेगी जो माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के अधीन होगी, क्योंकि मामला न्यायाधीन है। तदनुसार, इसलिए हमने, एमओएस द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार, अगस्त, 2015 में माननीय न्यायालय के समक्ष एक शपथ-पत्र दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की गई है कि उन्हें भारत के महान्यायवादी की राय को प्रभाव देने के लिए जनवरी 2012 के आदेश की समक्ष करने की अनुमति इस प्राधिकरण को दी जाए। वह मामला अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित पड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति की प्राप्ति तक एमओएस के पत्र के आधार पर अतिरिक्त/(घाटे) को परिमाण करने की एक कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त, यह 6 जनवरी, 2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/51/2011-सीआईटीपीएल के पैरा संख्या 10(iv) (ड) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगायी है। उक्त पैरा नीचे पुनरुद्धरित किया जाता है:-

“(ड). पिछले विश्लेषण के परिणामस्वरूप अनुमानों की तुलना में सीआईटीपीएल की वास्तविक निष्पादनता में प्रमुख परिमाणकों के विषय में अंतर/भिन्नता नीचे सारणी में दिया गया है:-

(लाख रु. में)

विवरण	2010 और 2011 का जोड़ा		
	अनुमान	वास्तविक	अंतर
यातायात (टीईयू में)	787500	784639	(-)0.36%
प्रचालन आय	24,163.50	21,695.06	(-)10.22%
प्रचालन व्यय (मूल्यहास और उपरिव्यय समेत)	16,463.62	13,926.81	(-)15.41%
नियोजित पूंजी (औसत)	51,368.62	51,335.25	(-)0.06%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर	7.49%	7.58%	(+)1.12%

पिछले अधिशेष के समायोजन के लिए + अथवा - 20% की निष्पादकता भिन्नता/ अंतर प्रदान करते हुए समय, मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 भौतिक एवं वित्तीय निष्पादकता की समीक्षा का अनुबंध करती है। इस मामले में, भौतिक निष्पादकता के साथ-साथ प्रचालन आय, प्रचालन खर्च, नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर, जैसी परिमाणकों के प्रमुख परिमाणक, इन दोनों में भिन्नाता 20% से कम पायी गई है। इसलिये, भावी प्रशुल्क में पिछले घाटे के समायोजन का प्रश्न तो उठाता ही नहीं। चूंकि वर्ष 2011 के लिये घाटे की स्थिति आंशिक रूप से अनुमानों पर आधारित है, वर्ष 2011 के लिये वास्तविक स्थिति अगली प्रशुल्क संशोधन प्रक्रिया के समय समीक्षा पर निर्भर होगी। यदि भिन्नता वर्ष 2011 के अनुमान और वास्तविक स्थिति के बीच पायी जाती है, तो ऊपर विचार की गई वर्ष 2010 और 2011 की शुद्ध घाटा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके साथ 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.13 के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।”

इस प्रकार, वर्ष 2011 के वास्तविकों पर सुविचार करने के साथ-साथ एमओएस के पत्र को कार्यान्वित करने के प्रभाव, जैसा ऊपर बताया गया है, की प्रक्रिया की गई है।

वर्ष 2011 के लिए पूर्वावधि विश्लेषण को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक- II** के रूप में संलग्न है।

यह दिया गया है कि खंड 2.13 के प्रयोजन से सुविचारित आय प्रचालक के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर अर्जित वास्तविक आय होगी न कि कोई काल्पनिक आय। 2012 के उक्त आदेश में यथा सुविचारित 268 लाख रु. और 947.24 लाख रु. की रियायत और छूट को प्रचालन आये में से घटा दिया गया तब उन पर विश्वास किया गया। इसलिए, 2012 के आदेश में यथा आकलित वर्ष 2010 के लिए प्रतिलाभ के पश्चात् निवल अतिरेक के प्रति 74.94 करोड़ रुपये को 77.62 करोड़ रु. के प्रतिलाभ के प्रति निवल घाटे में संशोधित कर दिया गया था। वर्ष 2011 के लिए 18.19 करोड़ रु. का निवल घाटा रियायत के बाद आय को लेखबद्ध करने के पश्चात् है।

इसके अतिरिक्त, यातायात विचलन 20% से भी कम है। इसलिए इस प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2012 के आदेश में वर्ष 2010 और 2011 के कुल घाटे को समायोजित न करने के लिए गए निर्णय में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वित्तीय और वास्तविक प्रतिमान दोनों ही विचलन +/- 20% से कम हैं।

इसलिए, भावी प्रशुल्क चक्र में इसके लिए सीआईटीपीएल को किसी घाटे का क्रेडिट नहीं दिया जाता, बशर्ते माननीय न्यायालय इसके लिए अनुमति दे।

- (xiv) जैसा आदेश के पहले भाग में चर्चा की गई है, सीआईटीपीएल ने अपने प्रस्तावित दरमान में सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) निर्यात कंटेनर के लिए मौजूदा 7 दिन की निशुल्क अवधि को बढ़ाकर 15 दिन करने का अनुमोदन चाहा है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि, सीआईटीपीएल से प्राप्त एक अलग प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने 10 अक्टूबर, 2019 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/26/2019-सीआईटीपीएल के द्वारा सीआईटीपीएल का प्रस्ताव पहलेही अनुमोदित कर दिया गया है। इस उपबंध को सीआईटीपीएल द्वारा अपने प्रस्तावित दरमानों में पहले ही अंतर्विष्ट कर दिया है।
- (xv) अपने प्रस्तावित दरमानों में, सीआईटीपीएल ने निबंधनों के लिए परिभाषाएं जोड़ी है जैसे बद्ध ट्रकिंग, डीपीडी/डीपीई, आईसीडी कंटेनर और प्रति पाली। सीआईटीपीएल ने प्रस्तावित दरमानों में पोतांतरण कंटेनर की मौजूदा परिभाषा को विस्तृत कर दिया है। इन पर नीचे विचार किया जाता है:-

(क) बद्ध ट्रकिंग की परिभाषा

19 जून, 2008 के आदेश संख्या टीएएमपी/45/2007-सीआईटीपीएल में दिये गए कारणों से, इस प्राधिकरण का मत है कि चूंकि बीओटी प्रचालक द्वारा दी जा रही बद्ध ट्रकिंग की सेवाएं महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के दायरे में नहीं आती हैं, इन पर लगाये जाने वाले प्रशुल्क के लिए धारा 48 के अंतर्गत इस प्राधिकरण से अनुमोदन की जरूरत नहीं है। इसी आधार पर सीआईटीपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित बद्ध ट्रकिंग की परिभाषा को सीआईटीपीएल के दरमानों में निर्धारित नहीं किया जाता। तिस पर भी, सीआईटीपीएल ने बद्ध ट्रकिंग के लिए न तो कोई दर निर्धारित की है और न ही अपने आकलनों में बद्ध ट्रकिंग सेवा से होने वाली आय का कोई आकलन किया है।

(ख) डीपीडी/डीएक्सई की परिभाषा

सीआईटीपीएल ने डीपीडी/डीएक्सई को सीधे पत्तन सुपुर्दगी (डीपीडी) और सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीई) का अर्थ उस सुविधा से है जो भारत सरकार ने माल पत्तन से/को सीधे सुपुर्दगी से क्लीयरेंस में तीव्रता लाने के लिए दी है और इस प्रकार लेन-देन समय और लागत में कमी आयेगी। चूंकि न तो प्रयोक्ताओं ने और न ही सीएचपीटी ने प्रस्तावित परिभाषा पर कोई आपत्ति की है अतः उक्त परिभाषा अनुमोदित है।

(ग) आईसीडी कंटेनर की परिभाषा

सीआईटीपीएल ने आईसीडी कंटेनर को इस प्रकार परिभाषित किया है वह कंटेनर जो पोत से उतार कर टर्मिनल के भीतर ट्रेन में लदान के लिए सीआईटीपीएल की अभिरक्षा में रहता है। "आईसीडी कंटेनर" का

अर्थ उस कंटेनर से भी होता है जिसे ट्रेन से उतार कर पोत में लदान के लिए सीआईटीपीएल की अभिरक्षा में रखा जाता है। न तो प्रयोक्ताओं ने ओर न ही सीएचपीटी ने इस परिभाषा पर कोई आपत्ति की है। चूंकि परिभाषा टर्मिनल के भीतर रेल वाहित कंटेनर के प्रहस्तन में निहित कार्यकलापों का वर्णन करती है अतः प्रस्तावित परिभाषा अनुमोदित की जाती है।

(घ) प्रति पाली की परिभाषा

सीआईटीपीएल ने प्रति पाली को इस प्रकार परिभाषित किया है, प्रति पाल की अर्थ 8 (आठ) घंटे की अवधि से है। प्रस्तावित परिभाषा अनुमोदित की जाती है।

(xvj) प्रस्तावित दरमानों में, आयात कंटेनरों के मौजूदा भंडारण प्रभारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है अर्थात् – श्रेणी 1 – आयात (भरे तथा खाली) (डीपीडी/सीएफएस सहित) और श्रेणी-2 आयात (भरे हुए डीपीडी) (सीधे फैक्ट्री को)। जबकि मौजूदा भंडारण प्रभारों को दोनों ही श्रेणियों के लिए रखा गया है, केवल श्रेणी 2 – आयात (भरे हुए डीपीडी) (सीधे फैक्ट्री को), सीआईटीपीएल द्वारा 2 अतिरिक्त निशुल्क दिवस का प्रस्ताव किया गया है। दूसरे शब्दों में, जबकि श्रेणी 1- आयात (भरे तथा खाली) (डीपीडी/सीएफएस सहित) 3 निशुल्क दिवस के मौजूदा स्तर ही निर्धारित है, श्रेणी 2 - आयात (भरे हुए डीपीडी) (सीधे फैक्ट्री को), के लिए 5 दिवस निर्धारित किये गये हैं। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्यकारी दिशानिर्देश के खंड 9.10.1 के अनुसार निशुल्क दिवसों की संख्या व्यक्तिगत प्रचालक द्वारा प्रस्तावित की जानी होती है। इस प्रकार बीओटी प्रचालक को भंडारण प्रभार निर्धारित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। चूंकि निशुल्क दिवसों की वृद्धि से प्रयोक्ताओं को लाभ होगा और चूंकि लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी ने निशुल्क दिवसों में वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं की है, सीआईटीपीएल का प्रस्ताव इस संबंध में अनुमोदित है।

(xvii) सीआईटीपीएल के मौजूदा दरमानों में विविध प्रभार अनुसूची विभिन्न सेवाओं की दरें निर्धारित करती है। उक्त अनुसूची के एक भाग के रूप में, सीआईटीपीएल ने “डीपीडी/डीपीई सुविधा प्रभार” एक नई अनुसूची जोड़ी है जो सीआईटीपीएल यार्ड के भीतर उन आरएमएस कंटेनरों के प्रभारों की उगाही के लिए है जो सील सत्यापन के लिए या सीमाशुल्क द्वारा निरीक्षण के लिए चिह्नित होते हैं। इस अनुसूची में निर्धारित प्रभार “ऑन व्हील सीमाशुल्क निरीक्षण, दस्तावेजीकरण प्रभार, लिफ्ट ऑफ/ लिफ्ट ऑन, टर्मिनल के भीतर स्थलांतरण और सील लगाने/हटाने के लिए है। यदि निरीक्षण के दौरान जरूरत पड़ती है तो फार्कलिफ्ट प्रभार भी प्रस्तावित किये गए हैं। प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर आय के आकलन में ‘डीपीडी/डीपीई सुविधा प्रभार’ की प्रस्तावित प्रविष्टि से आय को अलग से लेखबद्ध नहीं किया गया है, यह प्राधिकरण उक्त प्रविष्टि को अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन नहीं करता। डीपीडी/डीपीई सुविधा प्रभारों के लिए अलग से दरों का निर्धारण न होने से सीआईटीपीएल को कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि ऑन व्हील सीमा शुल्क निरीक्षण, दस्तावेजीकरण प्रभार, लिफ्ट ऑन/ऑफ, टर्मिनल के भीतर स्थलांतरण और सील लगाने/हटाने की दरें मौजूदा विविध प्रभार अनुसूची में पहले से ही शामिल हैं।

(xviii) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, दरमानों को संबंधित वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर, के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भारत सरकार द्वारा घोषित विचलन के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति के प्रति वार्षिक सूचकांकित किया जायेगा। ऐसे समंजन दरमान संगत वर्ष के 1 मई से लागू होंगे और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस मामले में वर्ष 2019-20 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में, इस प्रभाव की एक टिप्पणी दरमानों में अंतर्विष्ट की जाती है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान, इस प्राधिकरण द्वारा घोषित दिये जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60% तक स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन हैं। वार्षिक सूचकांकन 01 मई 2020 से होगा। सीआईटीपीएल द्वारा सूचकांकित दरमान सीएचपीटी, प्रयोक्ताओं और इस प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा।

13. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआईटीपीएल द्वारा अपने दरमानों की समीक्षा के लिए दायर प्रस्ताव, तत्पश्चात् इस प्राधिकरण द्वारा की विवेचना, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करना और सीआईटीपीएल द्वारा आदेश का कार्यान्वयन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है, सीआईटीपीएल को बार-बार यह अनुरोध किया गया है कि वह माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को यह सूचित करे कि सीआईटीपीएल ने अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। तथापि, सीआईटीपीएल ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह साबित कर सके कि न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए सीआईटीपीएल इस प्राधिकरण से संपर्क की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दी है। इसलिए सीआईटीपीएल के अब अनुमोदित संशोधित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् अथवा उस तारीख से जिस तारीख को सीआईटीपीएल माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर के यह सूचित करेगा कि सीआईटीपीएल न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए इस प्राधिकरण से अनुमोदित करा रहा है, जो भी बाद में हो, से लागू होंगे। सीआईटीपीएल को सलाह दी जाती है कि वह न्यायालय में शपथपत्र दायर करने के पश्चात् तत्काल शपथ-पत्र की एक अधिप्रमाणित प्रति इस प्राधिकरण के समक्ष रखेगा। संशोधित दरमानों का माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किये बिना सीआईटीपीएल के जोखिम और उत्तरदायित्व पर होगा।

14.1. परिणाम में और ऊपर बताये गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण दरमानों और सीआईटीपीएल की सोपाधिकताओंका अनुमोदन करता है जो **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

14.2. सीआईटीपीएल के संशोधित दरमान और सोपाधिकताएं इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् अथवा उस तारीख से जिस तारीख को सीआईटीपीएल माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर के यह सूचित करेगा कि सीआईटीपीएल न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए इस प्राधिकरण से अनुमोदित करा रहा है, जो भी बाद में हो, से लागू होंगे। एक बार संशोधित दरमान प्रभावी हो जाने के पश्चात् ये तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे और वार्षिक सूचकांकन के अधीन होंगे। दरमानों को दिया गया अनुमोदन उसके पश्चात् स्वतः ही व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा उनका विस्तार नहीं कर दिया जाता।

14.3. सीआईटीपीएल के प्रशुल्क दी गई सूचना के आधार पर और अभियोग की अवधि से संबंधित पूर्वावधि अतिरेक का समायोजना किये बिना निर्धारित किये गए हैं। इसलिए जब माननीय मद्रास उच्च न्यायालय 2012 की रिट याचिका संख्या 11010 और 11011 का निपटान करते हुए आदेश पारित करेगा जिससे अतिरेक/घाटे के संव्यवहार का मार्ग प्रशस्त होगा अथवा अभियोग की अवधि के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रतिलाभ से अधिक अतिरेक/(घाटे) के संव्यवहार पर एमओएस से निर्णय प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, सीआईटीपीएल के अब अनुमोदित प्रशुल्क तब समीक्षा के अधीन होंगे ताकि अभियोग अवधि के दौरान हुए अतिरेक के प्रभाव को लेखबद्ध किया जा सके। जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.1. में अनुबद्ध है।

14.4. जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 7 में अनुबद्ध है सीआईटीपीएल इस प्राधिकरण को प्रहस्तित कंटेनर यातायात, क्रेनों का प्रति घंटा औसत मूव तथा कंटेनरों के औसत ठहराव समय संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीआईटीपीएल को वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। समय-समय पर इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना भी सीआईटीपीएल द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

14.5. विचलनों का विश्लेषण प्रशुल्क वैधता अवधि के अंत में सीआईटीपीएल के प्रशुल्क के आगामी सामान्य समीक्षा के समय किया जायेगा और अतिरिक्त अतिरेक का समंजन अगले चक्र के लिए निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क निर्धारित के समय किया जायेगा जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 को खंड 3.2.1 और 3.2.2 में अनुबद्ध है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./373/19]

अनुलग्नक - I

फार्म - 1

महापत्तन न्यासों में परिचालित बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क नीति 2019 के अंतर्गत वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन						
लाख रु. में			लाख रु. में			
क्र.सं.	विवरण		वाई1	वाई1	वाई2	वाई3
			जनवरी 2015 से मार्च 2016	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	2016-17	2017-18
(1)	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)	टिप्पणी 1				
(i)	प्रचालन व्यय (मूल्यहास सहित)		19,035.04	15,228.03	18,097.55	18,552.47
(ii)	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)		13,493.80	10,795.04	10,983.65	10,862.00
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)		32,528.84	26,023.07	29,081.20	29,414.47
(2)	उन मदों का समंजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार) और आईजीएपी के आंकड़ों में भिन्नता पाई जाती है।	फार्म 6 क और टिप्पणी 2				
(i)	मूल्यहास		-	-	-	-
(ii)	व्यय की अन्य मदे, यदि कोई है, सूचीबद्ध की जाए।		-	-	-	-
	समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)+ —		-	-	-	-
(3)	घटाएं समायोजन					
(i)	पत्तन को प्रदत्त वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा		13,094.07	10,475.26	13,072.12	13,763.81
(ii)	ऋणों पर ब्याज		5,498.87	4,399.10	4,003.03	3,322.99
(iii)	अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-	1.15	-
(iv)	कम खपत वाली माल सूची के लिए प्रावधान		-	-	-	-
(v)	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो		-	-	-	-
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]		18,592.94	14,874.35	17,076.30	17,086.79
(4)	जोड़े: ग्राह्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार	फार्म 2 और टिप्पणी 3			-	-

(5)	सारे समायोजनों के पश्चात् कुल व्यय (5 = 1+2-3)		13,935.90	11,148.72	12,004.90	12,327.67
(6)	क्रमांक 5 का औसत व्यय = $[Y1 + Y2 + Y3] / 3$			11,827.10		
(7)	नियोजित पूंजी					
	(i). सकल स्थायी आस्तियां (संपत्ति, प्लॉट और उपस्कर) 31 मार्च को अथवा वार्ड 3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो। (आईजीएएपी को अनुसार)		80,712.13			
	(ii). जोड़े: प्रगति अधीन कार्य, वार्ड 3 के 31 मार्च को अथवा वार्ड 3 के 31 दिसंबर को जो बीओटी प्रचालक द्वारा अपनाया गया हो। (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार)		-			
	(iii). जोड़े: कार्यशील पूंजी प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार	फार्म 3 और टिप्पणी 4 के अनुसार				
	(क). माल सूची			576.77		
	(ख). विविध देनदार			2,147.46		
	(ग). रोकड़			2,147.31		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़			4,871.54		
	(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)+(iii)]			85,583.67		
(8)	नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिलाभ क्रमांक 7(iv)			13,693.39		
(9)	वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) 31 मार्च 2018 को [(6)+ (8)]			25,520.49		
(10)	वर्ष वार्ड 4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकन उदाहरण यदि वार्ड 4 2018-19 के लिए है तब लागू डब्ल्यूपीआई 3.45% है और वर्ष वार्ड 4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा $(9) \times 1.0345$			26,400.94		
(11)	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)			26,400.94		
(12)	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान, ऊपर क्रमांक 11 पर आकलित, पर राजस्व आकलन	फार्म 4 और टिप्पणी 5 के अनुसार			26,248.20	

अनुलग्नक - II

चेन्नई इंटरनैशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

वर्ष 2011 के लिए पश्च अवधि विश्लेषण

(रु. लाख में)

	विवरण	वर्ष 2011 के आकलन
I	कुल प्रचालन आय	
	कंटेनर प्रहस्तन आय	6599.41
	अन्य संबंधित प्रभार	6788.40
	योग	13387.81
II	प्रचालन लागत	
	प्रचालन और प्रत्यक्ष श्रम	3846.57
	अनुरक्षण लागत	
	उपस्कर परिचालन व्यय (विजली व ईंधन)	
	उपस्कर किराया	
	कंटेनर निरीक्षण और लैशिंग प्रभार	
	बीमा	
	मूल कंपनी को तकनीकी सेवा शुल्क	
	भू- भाटक प्रभार	
	भंडार तथा कलपुर्जों की खपत	
	योग	3846.57
III	मूल्यहास	2993.64
IV	ऊपरिव्यय	
	प्रबंधन और प्रशासन उपरिव्यय	560.97
	विदेशी मुद्रा विनिमय हानि	
	परिसंपत्तियों की बिक्री में हानि	
	विविध व्यय	
	योग	560.97
V	परिचाल अतिरेक /(घाटा) (I - II-III-IV)	5986.63
VI	वित्त एवं विविध आय (एफएमआई)	
	कबाड़ बिक्री	0.00
	विनिमय लाभ	0.00
	विविध आय	143.43

	योग	143.43
VII	वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई)	
	बैंक प्रभार	0.00
	योग	0.00
VIII	एफएमआई घटा एफएमई (VI-VII)	143.43
IX	ब्याज व कर पूर्व अतिरेक (V + VIII)	6130.06
X	नियोजित निवल पूंजी	49683.30
XI	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	7949.33
XII	निवल अतिरेक/(घाटा) (IX- XI)	-1819.27

अनुलग्नक- III

चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

दरमान

(यह दरमान प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन पश्चात् अथवा उस तारीख से जिस तारीख को सीआईटीपीएल माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर के यह सूचित करेगा कि सीआईटीपीएल न्यायालय अनुमत प्रशुल्क के संशोधन के लिए प्राधिकरण से अनुमोदित करा रहा है, जो भी बाद में हो, से लागू होंगे।)

परिभाषाएं और शर्तें

इस दरमान में चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के लिए चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल लिमिटेड को देय प्रभार निर्धारित किए गए हैं।

1. परिभाषाएं

इस दरमान में जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

- (i) **“मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम”** का अर्थ उस कार्यक्रम से है जो सीमाशुल्क विभाग द्वारा लागू किया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा **“मान्यता प्राप्त ग्राहक”** के रूप में पंजीकृत आयातकों की एक अलग श्रेणी बनाई जाएगी, जिसे सुनिश्चित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आरएमएस द्वारा यादृच्छिक आधार पर चयनित परेषणों के अल्प प्रतिशत अथवा जिन मामलों में विशिष्ट आसूचना उपलब्ध हो अथवा जहां पर अनुपालनहीनता के देखे गए विशिष्ट पैटर्न का समाधान किया जाता हो, को छोड़कर मान्यता प्राप्त ग्राहकों को स्व-निर्धारण के आधार पर अर्थात् स्वाभाविक तौर पर उनकी घोषणा के आधार पर माल की जांच किए बिना निकासी प्रदान की जाएगी, इसके अलावा, देश में सभी पत्तनों पर, जहां ईडीआई और आरएमएस प्रचालित हैं, पंजीकृत मान्यता प्राप्त ग्राहकों को यह लाभ उपलब्ध होगा। अपेक्षा की जाती है कि इस उपाय ये कार्गो के ठहरने के समय और ऐसे आयातकों के लेनदेन की लागत में कमी आएगी। सीमाशुल्क के आयुक्त के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अभिरक्षकों के साथ इन ग्राहकों के लिए अलग भंडारण स्थान, प्रहस्तन सुविधा और शीघ्र निकासी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु काम करें। इसके अलावा, आईएमजी ने विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त आयातकों को कार्गो की तत्काल सुपुर्दगी हेतु पत्तन परिसर में स्पष्टतया निर्धारित अलग क्षेत्र स्थापित करके त्वरित सुपुर्दगी प्रणाली की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम की विस्तृत व्याख्या सीमाशुल्क के दिनांक 24 नवंबर, 2005 के परिपत्र सं. 42/2005-सीमा शुल्क में दी गई है।

- (ii) **"सीआईटीपीएल"** का अर्थ भारत में निगमित कंपनी, चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित हैं।
- (iii) **"तटीय पोत"** का अर्थ किसी ऐसे पोत से है, जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में स्थित किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में संलग्न है और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस है।
- (iv) **"कंटेनर"** का अर्थ मानक आईएसओ कंटेनर है जो कार्गो के परिवहन के लिए और कार्गो का चट्टा लगाने के लिए उपयुक्त है और वह एक इकाई के रूप में प्रहस्तन किए जाने और कंटेनर स्पेडर युक्त क्रेन द्वारा उठाए जाने योग्य होना चाहिए।
- (v) **"डीपीडी/डीपीई"** का अर्थ सीधे पत्तन से सुपुर्दगी (डीपीटी) और सीधे पत्तन प्रवेश (डीपीटी) की उस सुविधा से है जो भारत सरकार ने माल पत्तन से/को सीधे सुपुर्दगी से क्लीयरेंस में तीव्रता लाने के लिए दी है और इस प्रकार लेन-देन समय और लागत में कमी आयेगी।
- डीपीडी कंटेनर वे कंटेनर है जो सीबीईसी चेन्नई के 28 फरवरी 2017 के सुविधा परिपत्र संख्या 05/2017 में निर्धारित प्रतिमानों को पूरा करते हैं।
- डीपीई कंटेनर वे कंटेनर हैं जो सीबीईसी चेन्नई के 18 नवंबर, 2019 के सुविधा परिपत्र संख्या 26/2017 में निर्धारित प्रतिमानों को पूरा करते हैं।
- (vi) **"एफसीएल"** का अर्थ पूर्ण कंटेनर भार वाला कंटेनर होगा।
- (vii) **"विदेशीगामी पोत"** का अर्थ तटीय पोत से भिन्न कोई अन्य पोत होगा।
- (viii) **"धूम्रीकरण सुविधा"** का अर्थ ऐसे कार्गो को प्रदूषण विहीन करना है जिस पर कीड़ों का दुष्प्रभाव हो सकता है और जिसे धूम्रीकरण द्वारा अथवा गैसरहित बनाकर अथवा दोनों के द्वारा प्रदूषण विहीन करने की जरूरत है।
- (ix) **"खतरनाक कंटेनर"** से अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जिससे आईएमओ के अधीन खतरनाक सामान के रूप में वर्गीकृत वस्तुएं हैं।
- (x) **"आईसीडी"** का अर्थ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है।
- (xi) **"आईसीडी कंटेनर"** वह कंटेनर होता है जो पोत से उतार कर टर्मिनल के भीतर ट्रेन में लदान के लिए सीआईटीपीएल की अभिरक्षा में रहता है। **"आईसीडी कंटेनर"** का अर्थ उस कंटेनर से होता है जिसे ट्रेन से उतार कर पोत में लदान के लिए सीआईटीपीएल की अभिरक्षा में रखा जाता है।
- (xii) **"एलसीएल"** का अर्थ पूर्ण कंटेनर भार से कम भार वाला कंटेनर (एक से अधिक आयातों/निर्यातकों के कार्गो भरे हुए कंटेनर) है।
- (xiii) **"अति आयामी कंटेनर"** का अर्थ है अति आयामी कार्गो ले जाने वाला, मानक कंटेनर के सामान्य आकार से बड़ा कंटेनर जिसके लिए स्लिंग्स, शैकल्स, लिफ्टिंग बीम इत्यादि जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। क्षतिग्रस्त कंटेनर और लिफ्टिंग के लिए विशेष उपकरणों की अपेक्षा वाले कंटेनरों को भी अति आयामी कंटेनरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (xiv) **"प्रति दिन"** का अर्थ प्रति कैलेंडर दिन अथवा उसका भाग है।
- (xv) **"प्रति पाली "** का अर्थ है 8 (आठ) घंटे की अवधि से है।
- (xvi) **"पत्तन"** का अर्थ चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से है जबकि "टर्मिनल" का अर्थ चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिचालित कंटेनर टर्मिनल से है।
- (xvii) **"रीफर"** का अर्थ माल की दुलाई के प्रयोजन से कोई ऐसा कंटेनर है, जिसे वांछित तापक्रम बनाए रखने के लिए विद्युत आपूर्ति अपेक्षित होती है।
- (xviii) **"शट-आउट कंटेनर"** का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जिसने वीआईएन द्वारा यथा इंगित किसी पोत हेतु निर्यात के लिए टर्मिनल में प्रवेश किया है और किसी कारण से पोत से जुड़ा हुआ नहीं है।
- (xix) **"टन"** का अर्थ 1,000 किलोग्राम का एक मीट्रिक टन अथवा एक घनमीटर है।

- (xx) **“पोतांतरण कंटेनर”** का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है, जो एक पोत से उतारा गया है, सीआईटीपीएल में रखा गया और अन्य पोत के द्वारा ढुलाई किया जाना है और इस कंटेनर पर अभिरक्षा में रखे जाने से पहले गंतव्य पत्तन लिखा रहता है।
- (xxi) **“वीआईएएन”** का अर्थ पोत पहचान सूचना संख्या है।

2. सामान्य

- (i) पोत की स्थिति जैसी नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन द्वारा पुष्टि की गई है, वह प्रासंगिक अवयव है जो निर्णित करता है कि पोत “विदेशी गामी” है अथवा “तटीय”। यदि किसी विदेशगामी पोत को तटीय यात्रा पर जाने की ओर कार्गो/कंटेनर ले जाने की अनुमति होगी तो वे ऐसी अनुमेय यात्राओं के विषय में रियायतों के लिए भी अर्हक होंगे:
- क. भारतीय ध्वज वाला विदेशीगामी पोत, जिसके पास सामान्य व्यापार लाइसेंस है, सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय यात्रा पोत में परिवर्तन हो सकता है।
- ख. विदेशी ध्वज वाला कोई विदेशीगामी पोत नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय यात्रा पोत के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
- ग. ऐसे परिवर्तनों के मामले में लदान करने वाले पत्तन द्वारा पोत पर तटीय सामग्रियों का लदान प्रारंभ करने के समय से तटीय दरें वसूल की जाएंगी।
- घ. ऐसे परिवर्तन के मामले में तटीय दरें केवल तब तक प्रभावी होंगी, जब तक पोत तटीय कार्गो का उतराई प्रचालन पूरा करता है, उसका तत्काल बाद उतराई पत्तन द्वारा विदेशीगामी दरें वसूल की जाएगी।
- ङ. नौवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस प्राप्त समर्पित भारतीय तटीय पोतों के लिए तटीय दरों के हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी।
- (ii) प्रत्येक बिल के कुल योग पर निकाले/परिगणित किये गए सभी प्रभारों को अगले उच्चतर रुपया में पूर्णांकित किया जाएगा।
- (iii) (क) प्रयोक्ता इस दरमान के अधीन किसी भी प्रकार के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा। इसी प्रकार सीआईटीपीएल विलंबित धनवापसी पर दंडात्मक ब्याज अदा करेगा।
- (ख) दंडात्मक ब्याज की दर 15% वार्षिक होगी। दंडात्मक ब्याज दर सीआईटीपीएल और पत्तन प्रयोक्ताओं दोनों पर समान रूप से लागू होगी।
- (ग) धन वापसियों में विलंब सेवाएं पूरी करने की तारीख से केवल 20 दिनों के बाद अथवा प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, इनमें से जो भी बाद में हो, से गिना जाएगा।
- (घ) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान में विलंब सीआईटीपीएल द्वार बिल देने की तारीख से 10 दिनों के बाद से गिना जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों में, जहां महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में यथानिर्दिष्ट सेवाएं प्राप्त करने के पूर्व भुगतान किया जाना है और/अथवा जहां इस दरमान में प्रभारों का अग्रिम भुगतान प्रदत्त है, लागू नहीं होगा।
- (ङ) खतरनाक कार्गो कंटेनर/अति आयामी कंटेनर के मामले में कंटेनरों की संबंधित श्रेणियों के लिए लागू प्रहस्तन प्रभारों के अतिरिक्त 37.50% प्रीमियम उगाहा जायेगा।
- (iv) लंबाई में 20 फुट तक अथवा उससे कम के कंटेनरों को प्रशुल्क के प्रयोजनार्थ एक टीईयू माना जाता है।
- (v) अमरीकी डॉलर में अंकित कंटेनर संबद्ध प्रभार समतुल्य भारतीय रूपए में संग्रहित किए जाएंगे। इस प्रयोजनार्थ, पत्तन की सीमाओं में पोत के प्रवेश की तारीख (आयात कंटेनरों के मामले में) और टर्मिनल परिसर के लिए कंटेनर के (निर्यात कंटेनरों के मामले में) आगमन की तारीख को विद्यमान समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके सहायक बैंक या अन्य किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिसूचित बाजार क्रय दर का डॉलर में अंकित प्रभारों का भारतीय रूपये में पुनःपरिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

- (vi) पत्तन में दीर्घ अवधि तक ठहरने वाले पोतों के मामले में पोतों के आगमन की तिथि से 30 दिन में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में समीक्षा के समय प्रचलित उचित विनिमय दर के संदर्भ से बिलिंग का आधार भावी प्रभाव से बदलेगा।
- (vii) (क) प्रयोक्ता से पत्तन पर आरेप्य किसी उचित सीमा के बाद विलंब के लिए प्रभार अदा करना अपेक्षित नहीं होगा।
- (ख) यदि सीआईटीपीएल की तट आधारित सुविधाओं में खराबी आ जाने की कारण अथवा उनकी अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से जिसके लिए सीआईटीपीएल को जिम्मेदार ठहराया जाए, पोत बेकार खड़ा रहता है, तो पोत के बेकार रहने की अवधि के दौरान जमा हुए, सीएचपीटी को देय बर्थ किराया प्रभार के बराबर छूट अनुमत की जाएगी।
- (viii) दरमानों में निर्धारित प्रभार सभी ग्राह्य करों के अतिरिक्त हैं। सभी ग्राह्य कर वास्तविक दर पर एकत्र किये जायेंगे।
- (ix) इकाई भार के रूप में सीआईटीपीएल में आने और वहां से जाने वाले एलसीएल कंटेनर को प्रभार लगाने के प्रयोजनार्थ एफसीएल माना जाएगा।
- (x) सभी बीजक प्रस्तुति पर यथा देय जारी किए जाते हैं। भुगतान करने में विफलता टर्मिनल प्रहस्तन की सामग्रियों पर पुनर्ग्राह्यधिकार का कारण बन सकती है और उत्तरदायी पार्टी को सभी बकाया प्रभारों का भुगतान करने तक टर्मिनल का और प्रयोग करने से रोका जा सकता है। जब तक कि वह कार्गो की उतरायी की तारीख से भुगतान की तारीख तक सभी देयताएं @ 15% ब्याज के साथ भुगतान नहीं कर देता।
- (xi) मानक आकार से इतर कंटेनरों के प्रहस्तन पर, जिनके लिए विशेष युक्तियों/स्लिंगों की जरूरत पड़ती है, नीचे 3.5 के अनुसार प्रभार लगाये जायेंगे। ऐसे कंटेनरों में क्षतिग्रस्त कंटेनर और अन्य ऐसे कंटेनर भी शामिल होंगे जिनके लिए विशेष युक्तियों की जरूरत पड़ती है।
- (xii) यदि कोई टर्मिनल प्रयोक्ता सीआईटीपीएल की पूर्व सहमति से पोत में रखे सभी कंटेनरों के लैशिंग प्रचालन के लिए लैशिंग/अनलैशिंग गैंग उपलब्ध कराता है, तो खंड 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, और 3.4 में निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में 33/- रु. प्रति कंटेनर की रियायत दी जायेगी, बशर्ते टर्मिनल प्रयोक्ता सुरक्षा विनियमों का पालन करना स्वीकार करें।

खंड- 1

3.0 कंटेनर प्रचालन प्रभार

3.1 एफसीएल आयात और निर्यात कंटेनरों के तथा खाली कंटेनरों के प्रहस्तन प्रभार

3.1.1. बांधने/खोलने के प्रभार सहित क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एफसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	22.53	भा. रुपया	567.76
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	33.78	भा. रुपया	851.26
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	45.05	भा. रुपया	1135.26
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	22.53	भा. रुपया	567.76
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	33.78	भा. रुपया	851.26
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	45.05	भा. रुपया	1135.26

सेवाओं में क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन और बांधने/खोलने के कार्य शामिल है।

3.1.2. क्वे परिसर से कंटेनर यार्ड और विलोमत: दुलाई

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एफसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	641.91	भा. रुपया	385.15
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	962.83	भा. रुपया	577.70
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	1283.81	भा. रुपया	770.29
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	317.90	भा. रुपया	190.74
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	476.85	भा. रुपया	286.11
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	635.80	भा. रुपया	381.48

सेवाओं में क्वे साइट से/को दुलाई शामिल है।

3.1.3 (क) कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन में आंतरिक अंतरण वाहन से/को लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ शामिल है।

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एफसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	212.84
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	319.26
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	425.66
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	175.67	भा. रुपया	105.40
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	263.50	भा. रुपया	158.10
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	351.34	भा. रुपया	210.80

टिप्पणी: सेवाओं में भंडारण हेतु कंटेनर यार्ड में लिफ्टस शामिल है।

3.1.3. (ख) कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन, ग्राहकों को सौंपने के लिए तथा उन से प्राप्ति के लिए लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ शामिल है।

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एफसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	354.73
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	532.10
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	709.44
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	175.67	भा. रुपया	175.67
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	263.50	भा. रुपया	263.50
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	351.34	भा. रुपया	351.34

टिप्पणी: सेवाओं में कंटेनर यार्ड में ग्राहक के वाहन से कंटेनर उतारने/ कंटेनर लादने के लिए लिफ्ट्स शामिल है।

3.2. एलसीएल आयात और निर्यात कंटेनर के प्रहस्तन प्रभार**3.2.1. बांधने/खोलने सहित क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार**

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	22.53	भा. रुपया	567.76
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	33.78	भा. रुपया	851.26
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	45.05	भा. रुपया	1135.26

3.2.2. (क) क्वे साइड से कंटेनर यार्ड और विलोमत: ढुलाई:

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एलसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	609.84	भा. रुपया	365.90
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	914.70	भा. रुपया	548.82
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	1219.62	भा. रुपया	731.77

टिप्पणी: सेवाओं के कंटेनर के क्वे साइड से कंटेनर यार्ड और विलोमत: ढुलाई शामिल है।

3.2.2. (ख) कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन आंतरिक स्थलांतरण वाहन पर/ से उठाकर रखना

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एलसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	212.84
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	319.26
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	425.66

टिप्पणी: सेवाओं में कंटेनर यार्ड में भंडारण हेतु लिफ्टस् शामिल है।

3.2.2. ग) कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन, ग्राहकों को सौंपने/से प्राप्त करने के लिए लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एफसीएल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	354.73
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	532.10
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	709.44
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	175.67	भा. रुपया	175.67
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	263.50	भा. रुपया	263.50
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	351.34	भा. रुपया	351.34

टिप्पणी: सेवाओं में कंटेनर यार्ड में कंटेनर ग्राहक के वाहन से उतारना या लदान के लिए लिफ्ट्स शामिल हैं।

3.3. आईसीडी आयात और निर्यात कंटेनर के प्रहस्तन प्रभार

3.3.1. बांधने/खोलने सहित क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति भरे कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	22.53	भा. रुपया	567.76
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	33.78	भा. रुपया	851.26
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	45.05	भा. रुपया	1135.26
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	22.53	भा. रुपया	567.76
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	33.78	भा. रुपया	851.26
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	45.05	भा. रुपया	1135.26

टिप्पणी: सेवाओं में क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन और बांधना/खोलना शामिल हैं।

3.3.2. क्वे साइट से कंटेनर यार्ड तक और विलोमत: ढुलाई

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति भरा कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	609.84	भा. रुपया	365.90
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	914.71	भा. रुपया	548.83
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	1219.63	भा. रुपया	731.78
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	302.01	भा. रुपया	181.21
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	452.98	भा. रुपया	271.79
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	604.01	भा. रुपया	362.41

सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड तक ढुलाई, पोत और यार्ड पर कर्षण योजना बनाना, आंकड़ा प्रहस्तन, पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच प्रक्रिया और अंतरण शामिल हैं।

3.3.3. (क). कंटेनर यार्ड में प्रहस्तन आंतरिक स्थलांतरण वाहन पर/ से उठाकर रखना

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति भरा कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	212.84
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	319.26
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	425.66
प्रति खाली कंटेनर				

लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	175.67	भा. रुपया	105.40
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	263.50	भा. रुपया	158.10
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	351.34	भा. रुपया	210.80

टिप्पणी: सेवाओं में भंडारण हेतु कंटेनर यार्ड में लिफ्टस् शामिल है।

3.3.3. (ख). कंटेनर रेल यार्ड में प्रहस्तन रेल के लिए सुपुर्दगी देते समय कंटेनर में उठाना/ रखना

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति एल सी एल कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	354.73	भा. रुपया	354.73
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	532.10	भा. रुपया	532.10
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	709.44	भा. रुपया	709.44
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	भा. रुपया	175.67	भा. रुपया	175.67
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	भा. रुपया	263.50	भा. रुपया	263.50
लंबाई में 40' से अधिक	भा. रुपया	351.34	भा. रुपया	351.34

टिप्पणी: सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड में उठाना (लिफ्ट), आंकड़ा प्रहस्तन, पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच प्रक्रिया और अंतरण शामिल है।

3.4. पोतांतरण कंटेनर प्रहस्तन प्रभार

विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति भरा हुआ कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	27.02	भा. रुपया	680.90
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	40.54	भा. रुपया	1021.61
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	54.05	भा. रुपया	1362.06
प्रति खाली कंटेनर				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	27.02	भा. रुपया	680.90
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	40.54	भा. रुपया	1021.61
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	54.05	भा. रुपया	1362.06

सेवाओं में क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन (उतराई और लदान), ढुलाई और उठाना, पोत और यार्ड में कर्षण की आयोजना, आंकड़ा संसाधन, पोत, सीआईटीपीएल और शिपिंग लाइन के बीच संसाधन और अंतरण शामिल है।

टिप्पणी: (i) सीएफएस, आईसीडी को भेजे गए अथवा स्थानीय रूप से सुपुर्दगी लिए गए पोतांतरण पर स्थानीय कंटेनर दर प्रभारित होगी।

अनुसूची 3.10 के अनुसार शटआउट प्रभार लागू होगा, यदि:-

- पोत का नामांकन परिवर्तित किया जाता है, अथवा
- पहले वाला पोत बर्थ पर लगने के बाद यदि पोत- नामांकन बाद वाले पोत से पहले वाले पोत में बदला जाता है।

3.5. खतरनाक कार्गो कंटेनर/ अतिआयामी कार्गो कंटेनर प्रभार:

खतरनाक कार्गो कंटेनर/अति आयामी कंटेनर के मामले में कंटेनरों की संबंधित श्रेणियों के लिए लागू प्रहस्तन प्रभारों के अतिरिक्त 37.50% प्रीमियम उगाहा जायेगा।

3.6. घाटशुल्क प्रभार

	विदेश गामी पोत अमेरिकी डॉलर	तटीय पोत रु. में
प्रति कंटेनर (केवल बॉक्स)		
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	1.29	32.51
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	1.94	48.89
लंबाई में 40' से अधिक	2.57	64.76
प्रति कंटेनरयुक्त कार्गो	रुपया	रुपया
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	707.85	424.71
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	1061.78	637.07
लंबाई में 40' से अधिक	1415.70	849.42

टिप्पणी:

- सभी मामलों में कंटेनरयुक्त कार्गो के लिए प्रभार रुपये में होगा।
- 'विदेश से आगमन' और 'विदेश को प्रस्थान' के मामले में कंटेनरों के लिए प्रभार डॉलर में होगा।
- 'तटीय आगमन' और 'तटीय प्रस्थान' के मामले में कंटेनरों के लिए प्रभार रुपया में होगा।
- घाटशुल्क आईसीडी, पोतांतरण भरे तथा खाली कंटेनरों सहित सभी कंटेनरों पर प्रभारित किया जाएगा।

3.7. एक प्रचालन के लिए जहाज के हैच कवर प्रहस्तन (खोलना और बंद करना दोनों) प्रभार

क्र.सं.	विवरण	विदेशी गामी पोत (अ. डॉलर)	तटीय पोत (रु. में)
(क)	क्वे पर जहाज के हैच कवर को उतारे बिना	18.02	454.10
(ख)	उतराई के साथ क्वे पर हैच कवर उतारना	45.05	1135.26

टिप्पणी: यदि केवल एक कार्यकलाप अर्थात या तो खोलना अथवा बंद करना है तो दर का आधा प्रभार्य होगा।

3.8. पोत के भीतर कंटेनरों के अंतरण (रेस्टॉव) प्रभार

विवरण	मुद्रा	विदेशी- गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
प्रति कंटेनर, हैच के भीतर (उतारे और पुनः पोतलदान किए बिना)				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	10.95	भा. रुपया	275.94
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	16.41	भा. रुपया	413.53
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	21.88	भा. रुपया	551.38
प्रति कंटेनर घाट से होकर (घाट पर उतार कर और पुनः पोतलदान)				
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	32.18	भा. रुपया	810.94

लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	48.27	भा. रुपया	1216.40
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	64.35	भा. रुपया	1621.62

टिप्पणी: रेस्टॉब कंटेनर और कंटेनरबद्ध कार्गो पर कोई घाटशुल्क नहीं लगाया जाएगा।

3.9. रीफर संबद्ध और अन्य सामान्य सेवाएं

	विवरण	मुद्रा	विदेशी-गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत
(क)	फेरा-पूर्व निरीक्षण (विद्युत की आपूर्ति सहित)	अ. डॉलर	33.00	भा. रुपया	831.60
(ख)	किसी पोत पर कनेक्शन लगाने अथवा कनेक्शन हटाने की सेवाएं	अ. डॉलर	2.20	भा. रुपया	55.44
(ग)	कंटेनर की सफाई				
	लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	1.65	भा. रुपया	41.58
	लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	3.30	भा. रुपया	83.16
	लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	4.95	भा. रुपया	124.74
(घ)	प्रति कंटेनर प्रति 4 घंटे की पाली अथवा उसके भाग के लिए विद्युत की आपूर्ति (कनेक्शन लगाने और कनेक्शन हटाने, रीफर यार्ड में तापक्रम की मानीटरिंग समेत)				
	लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	3.89	भा. रुपया	98.13
	लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	5.84	भा. रुपया	147.19
	लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	7.79	भा. रुपया	196.26

टिप्पणी:

- उपरोक्त प्रशुल्क में प्रतिमान निर्धारित करने अथवा रीफर के सही कार्य नहीं करने वाले रीफर की मरम्मत और अनुरक्षण शामिल नहीं है। उपरोक्त प्रभार रीफर कंटेनरों के रेस्टॉब पर भी लागू है।
- रीफर कंटेनर का फेरा-पूर्व सर्वेक्षण, पोत पर कनेक्शन लगाने अथवा कनेक्शन हटाने की सेवाओं और कंटेनरों की सफाई वैकल्पिक सेवाएं हैं और इन्हें अनुरोध करने पर ही प्रदान किया जाएगा।

3.10. शटआऊट कंटेनर/कंटेनरों के पुनःनामांकन प्रभार

शट आऊट कंटेनर	मुद्रा	विदेशी गामी पोत	मुद्रा	तटीय पोत (रु. में)
लंबाई में 20' से अधिक नहीं	अ. डॉलर	24.45	भा. रुपया	1026.90
लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	अ. डॉलर	36.69	भा. रुपया	1540.96
लंबाई में 40' से अधिक	अ. डॉलर	48.91	भा. रुपया	2054.22

टिप्पणी: उपरोक्त प्रभार वहां लागू होंगे, जहां:-

- कोई निर्यात कंटेनर अथवा पोतांतरण कंटेनर अथवा पुनःनिर्यात कंटेनर शटआऊट किया जाता है और सत्पश्चात् सीआईटीपीएल के बाहर सुपुर्द किया जाता है।
- जब कोई कंटेनर एक पोत द्वारा शटआऊट किया जाता है और तत्पश्चात् दूसरे पोत द्वारा उसका पोत लदान किया जाता है, क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन के लिए प्रभार के अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएंगे। इस मामले में खंड 3.11 के अनुसार पहली बार कंटेनर प्राप्त होने के समय से कंटेनर को निःशुल्क भंडारण अवधि प्रदान की जाएगी। अगर निःशुल्क भंडारण अवधि पार हो जाती है तो भंडारण प्रभार निःशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद से उठाए जाने के समय तक परिकलित किया जाएगा।

3.11. कंटेनर के भंडारण के लिए प्रभार**1. आयात- लदे और खाली कंटेनर- (डीपीडी / सीएफएस सहित)**

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश-गामी पोत	तटीय	विदेश-गामी पोत	तटीय	विदेश-गामी पोत	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	प्रथम 3 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ख)	4 से 15 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ग)	16 से 30 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(घ)	30 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

(1क) आयात-लदे डीपीडी (सीधे फैक्ट्री को)

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश-गामी पोत	तटीय	विदेश-गामी पोत	तटीय	विदेश-गामी पोत	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	प्रथम 5 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ख)	6 से 15 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ग)	16 से 30 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(घ)	30 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

(2) निर्यात – एफसीएल, एलसीएल और खाली कंटेनर

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	पहले 7 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
(ख)	8 से 15 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ग)	16 से 30 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(घ)	30 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

(2क) डीपीई—(सीधे पत्तन निर्यात)

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	प्रथम 15 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
(ख)	16 से 30 दिन	11.00	लागू नहीं	22.00	लागू नहीं	33.00	लागू नहीं
(ग)	30 दिन से आगे	22.00	लागू नहीं	44.00	लागू नहीं	66.00	लागू नहीं

3. आईसीडी कंटेनर—आयात और निर्यात भरे हुए और खाली

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	प्रथम 10 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
(ख)	11 से 30 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ग)	31 से 45 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(घ)	45 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

4. ट्रांसशिपमेंट कंटेनर—भरे हुए और खाली

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	प्रथम 30 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
(ख)	31 से 45 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ग)	56 से 69 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(घ)	60 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

5. शट आऊट कंटेनर – भरे हुए और खाली

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर		लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर		लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर	
		विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय	विदेश गामी	तटीय
		अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.	अ. डॉलर	रु.
(क)	1 से 15 दिन	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(ख)	16 से 30 दिन	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(ग)	30 दिन से आगे	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

टिप्पणी:

- 3.11.1. कंटेनर के लिए भंडारण अवधि उतराई के दिन के बाद वाले दिन से लदान/सुपुर्दगी/कंटेनर हटाने के दिन तक मानी जाएगी।
- 3.11.2. निःशुल्क अवधि के परिकलन के प्रयोजनार्थ रविवार, सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस और टर्मिनल के अकार्य दिवसों को छोड़ दिया जाएगा।
- 3.11.3. भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए प्रदत्त नहीं होगा, जिसके दौरान सीआईटीपीएल, प्रयोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर कंटेनरों की सुपुर्दगी/पोत लदान करने की स्थिति में नहीं है।
- 3.11.4. पोतांतरण कंटेनर को जिसकी स्थिति बाद में स्थानीय एफसीएल/एसीएल/आईसीडी/ में परिवर्तित की जाती है, रियायती भंडारण प्रभार का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार संगत आयात कंटेनर भंडारण प्रशुल्क के सममूल्य वसूल किया जाएगा।
- 3.11.5. खतरनाक कंटेनर के लिए भंडारण प्रभार संबंधित स्लैब के अधीन 1.50 गुणा अधिक होगा, जैसा ऊपर दिया गया है।
- 3.11.6. पवन चक्की के बक्सों सहित अतिविशाल आकार वाले कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार, संबंधित स्लैब के अधीन संबंधित कंटेनर द्वारा कब्जा किए गए ग्राउंड स्लॉट्स की वास्तविक संख्या पर आधारित होगा, जैसा ऊपर दिया गया है।
- 3.11.7. ऊपर खंड 1(i) में स्पष्ट किए गए के अनुसार, यदि मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के अधीन सुपुर्दगी के लिए अभिप्रेत बॉक्स टर्मिनल पर उनके उतरने के 3 दिनों के भीतर नहीं हटाए जाते हैं, तो इन बॉक्सों को नामोदिष्ट एसीपी आयात चट्टा क्षेत्र से सामान्य आयात चट्टा क्षेत्र में अंतरित कर दिया जाएगा, जिस मामले में लागू अतिरिक्त उठाने/रखने और/ अथवा अंतरण प्रभार प्रभार्य होंगे।
- 3.11.8. आईसीडी कंटेनरों के मामले में प्रदत्त निःशुल्क अवधि और भंडारण दरें केवल रेल द्वारा आईसीडी से/ तक जाने वाले कंटेनरों के आवागमन के लिए ही लागू होंगी।
- 3.11.9. बाद में एलसीएल अथवा आईसीडी में परिवर्तित होने वाले सामान्य आयात कंटेनरों को स्थानीय एफसीएल कंटेनरों पर लागू निःशुल्क अवधि का लाभ मिलेगा।
- 3.11.10 किसी शट आऊट कंटेनर की कुल भंडारण अवधि, उसके शट आऊट होने वाले दिन के अगले दिन से आरंभ हो कर पोत लदान/सुपुर्दगी के दिन तक गिनी जाएगी।
- 3.11.11 परिव्यक्त एफसीएल कंटेनरों/ शिपर ओंड कंटेनरों पर लिखित में परित्याग किये जाने की सूचना मिलने तक अथवा कंटेनर के उतारे जाने की तिथि से 75 दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, लगाया जाएगा:-

- (i) प्रेषित किसी भी समय परित्याग का पत्र जारी कर सकता है।

- (ii) यदि प्रेषित परित्याग का ऐसा पत्र जारी नहीं करना चाहता है तो कंटेनर एजेंट/एमएलओ भी निम्नलिखित शर्तों पर परित्याग का पत्र जारी कर सकता है। :
- (क) शिपिंग लाइन कार्गो के साथ कंटेनर की अभिरक्षा फिर से ग्रहण करेगी और, या तो उसे वापस लेगी या पत्तन परिसर से हटाएगी।
- (ख) शिपिंग लाइन कंटेनर की अभिरक्षा फिर से ग्रहण करने से पहले और कार्गो और कंटेनर की पर इकट्ठा /जमा हुए सभी पत्तन प्रभारों का भुगतान करेगी।
- (iii) कंटेनर एजेंट/एमएलओ सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा और परिवहन तथा खाली करने की लागत वहन करेगा। अनुबंधित/निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई न कर पाने की स्थिति में, कंटेनर पर भंडारण प्रभार उस समय तक लगने रहेंगे जब तक कि शिपिंग लाइन द्वारा कार्गो खाली करने/करवाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां नहीं कर ली जाती हैं।
- (iv) जहां कंटेनर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अभियहित/जब्त कर लिया गया हो उसे 75 दिनों का प्रदत्त समय सीमा के भीतर खाली न किया जा सकता हो, भंडारण प्रभार उस तिथि से लगने रुक जाएंगे जिस तारीख को सीमा शुल्क विभाग कार्गो की मुक्ति का आदेश जारी कर देगा वशर्ते शिपिंग लाइंस सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे परिवहन तथा खाली करने की लागत वहन करे। अन्यथा, अभिग्रहित/जब्त किया गया कंटेनर पत्तन परिसर से सीमा शुल्क बांडेड क्षेत्र तक शिपिंग लाइंस/प्रेषित द्वारा हटाया जाना चाहिए और ऐसे मामले में भंडारण प्रभार ऐसे हटाए जाने की तिथि से लगने बंद हो जाएंगे।

3.11.12. निर्यात कंटेनरों के लिए ग्राउंड स्लॉट्स पोत की साप्ताहिक दस्तक के लिये 7 दिन के लिये और पोत की पाक्षिक दस्तक के लिए 5 दिन आरक्षित रहेंगे।

3.12. विविध प्रभार

(दर प्रति कंटेनर रु. में)

क्र.सं.	विवरण	लंबाई में 20' तक के कंटेनर	लंबाई में 20' से अधिक और 40' लंबाई तक के कंटेनर	लंबाई में 40' से अधिक और 45' लंबाई तक के कंटेनर
(i)	सील लगाना/हटाना	220.00	220.00	220.00
(ii)	कंटेनर यार्ड में उठाना/रखना	707.85	1061.78	1415.70
(iii)	टर्मिनल के भीतर अंतरण के लिए प्रभार	965.25	1447.88	1930.50
(iv)	पीओडी प्रभार	965.25	1447.88	1930.50
(v)	अतिरिक्त ढुलाई - टर्मिनल से रेल अथवा रेल से टर्मिनल/अतिरिक्त ढुलाई/परिवर्तन के लिए प्रभार	965.25	1447.88	1930.50
(vi)	कंटेनर की स्थिति में रेल से सड़क में अथवा विलोमतः परिवर्तन	965.25	1447.88	1930.50
(vii)	विशेष वीआईएन के लिए, प्रवेशद्वार पर निर्धारित समय के बाद टर्मिनल में आने वाले निर्यात कंटेनरों के लिए प्रभार	965.25	1447.88	1930.50
(viii)	खतरनाक स्टिकर लगाना/हटाना (प्रति कंटेनर)	110	110	110
(xi)	प्रति कंटेनर एक द्वार खोलने का प्रभार	660	660	660
(x)	दस्तावेजों को रद्द करना - प्रति ईआईआर	110	110	110
(xi)	खतरनाक और अति आयामी कंटेनरों की	3300	3300	3300

	घोषणा नहीं करना/ गलत घोषणा करना			
(xii)	ऑन व्हील सीमाशुल्क निरीक्षण (प्रति कंटेनर)	440	440	440
(xiii)	धूम्रीकरण प्रभार	2200	2200	2200
(xiv)	टर्मिनल के भीतर की आवागमन के लिए फोर्क लिफ्ट प्रभार (प्रति बिन बांधने के लिए)	110	110	110
(xv)	कार्गो सहित/ रहित ट्रालों का भारतोलन	110	110	110

टिप्पणी:

1. निरसन प्रभार तब लागू होते हैं जब ईआईआर ग्राहकों के अनुरोध पर निरस्त की जाती है।
2. “एक द्वार खोलना” प्रभार उन कंटेनरों के प्रहस्तन के लिये लागू होना है जिन्हें केवल एक द्वार खुला रहने की आवश्यकता है (जैसे, प्याज) और जब दरवाजा खोलने और सुरक्षा प्रदान करना टर्मिनल में किया जाता है।
3. **सील लगाना/हटाना**

उचित बॉटल-सील बिना रेलमार्ग/सड़क मार्ग/ जलमार्ग से टर्मिनल में पहुंचने वाले प्रत्येक कंटेनर पर, उसे प्रवेश करने देने से पहले बॉटल-सील लगायी जाएगी। टर्मिनल स्टाफ इसे शिपिंग लाइंस की लिखित सहमति के बिना लगायेगा। ऐसे कंटेनरों की एक सूची, जिन पर टर्मिनल द्वारा सील लगायी जाएगी/ गई होगी, शिपिंग लाइंस को दी जाएगी। ग्राहक के अनुरोध पर सील हटायी जाएगी।

4. **‘खतरनाक स्टिकर’ लगाना/ हटाना**

खतरनाक कार्गो ले जाने वाले कंटेनर पर ‘केवल आईएमसीओ श्रेणी’ दर्शाने वाला खतरनाक स्टिकर ही लगाया जाएगा। इसी प्रकार, गैर-खतरनाक कार्गो ले जाने वाले कंटेनर से पुराने स्टिकर हटाए जाएंगे। दोनों में से प्रत्येक मामले में, ग्राहक को सीआईटीपीएल को लिखित में सूचना देनी होगी कि वह टर्मिनल के भीतर उक्त कार्रवाई करे।

5. **सीमाशुल्क निरीक्षण**

किसी कंटेनर का ऑन-व्हील निरीक्षण ग्राहक के लिखित अनुरोध पर नामांकित (पूर्व निर्धारित) बिंदु पर ही अनुमत किया जाएगा। कंटेनर के दरवाजे सीमाशुल्क विभाग की देख-रेख में ही खोले जा सकते हैं।

6. **अतिरिक्त सूचक –** टर्मिनल से रेल साइडिंग अथवा रेल साइडिंग से टर्मिनल तक अतिरिक्त आवागमन सीआईटीपीएल द्वारा हटाये गए आईसीडी कंटेनरों के लिये ही लागू होगा।

7. **खतरनाक कंटेनर की घोषणा न करना/गलत घोषणा करना**

ग्राहक को आईएमसीओ नियमों के अनुसार कर्गों के खतरनाक होने की घोषणा करनी ही है और सीआईटीपीएल को अनुषंगिक खतरनाम ब्यौरा प्रस्तुत करना है। उपरोक्त प्रभार, कंटेनर की खतरनाक प्रकृति के बारे में केवल घोषणा न करने/गलत घोषणा करने के बारे में ही है। आईएमसीओ श्रेणी, यूएन, एनओ, ईपीएस, एमएफएजी सहित सही तकनीकी नाम, आपातकाल में संपर्क के लिए मौजूदा व्यक्ति के ब्यौरे सहित ऐसी घोषणा न करने/ गलत घोषणा करने से उत्पन्न परिणामों की जिम्मेदारी और तत्संबंधी लागत ग्राहक को ही वहन करनी है। .

8. **कंटेनर/कार्गो के साथ अथवा बिना ट्राले का भारतोलन**

ट्राले/ट्रक की भारतोलन सेवा एक वैकल्पिक सेवा है और यह प्रयोक्ता के अनुरोध पर दी जाती है। प्रभार में भार बताते हुए वांछित प्रमाणपत्र जारी किया जाना शामिल है।

3.13. कंटेनर बर्थ के साथ-साथ लगे जहाज को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए प्रभार

विवरण	विदेश-गामी पोत (अ. डॉलर)	तटीय (रु.)
प्रति 1000 लीटर अथवा उसके भाग के लिए	7.47	313.74

3.14. पोत पर कूड़ा-कचरा हटाने के लिए प्रभार

	रु.
प्रति ½ घन मीटर बोरी	257.40

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th December 2019

No.TAMP/36/2019-CITPL .—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai International Terminal Private Limited (CITPL) for General Revision of its Scale of Rates, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/36/2019-CITPL****The Chennai International Terminal Private Limited**

...

Applicant**QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 29th day of November 2019)

This case relates to a proposal received from Chennai International Terminal Private Limited (CITPL) vide its letter No. CITPL/F&A/TAMP/2019/001 dated 18 July 2019 for general revision of its Scale of Rates.

2. This Authority vide its Order No.TAMP/51/2011-CITPL dated 06 January 2012 had revised the Scale of Rates (SOR) of the CITPL considering the proposal filed by CITPL following 2005 Tariff Guidelines. The said Order was notified in the Gazette of India on 14 February 2012 vide Gazette No.33. Vide the said Order, this Authority had effected an across the board reduction of 12.23% over the then prevailing tariff of CITPL (i.e. tariff approved for CITPL vide Order No.TAMP/10/2009-CITPL dated 3 November 2010), as against the tariff increase of 15% sought by CITPL.

3.1. Aggrieved by the said reduction in its tariff, the CITPL challenged the tariff order dated 6 January 2012 passed by this Authority, by its Writ Petition Nos. 11010 and 11011 of 2012 filed in the Hon'ble High Court of Madras.

3.2. The Hon'ble High Court have stayed the tariff Order dated 6 January 2012 and allowed the CITPL to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 3 November 2010. The said Order of the Hon'ble High Court is still in force and the CITPL continues to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 3 November 2010.

4. The Ministry of Shipping (MOS), in exercise of the powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has vide its letter No.PR-14019/20/2009- PG (Pt-IV) dated 5 March 2019 issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. The Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Guidelines, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 11 July 2019, vide Gazette No.244.

5.1. In this backdrop, the CITPL has filed its proposal dated 18 July 2019 for general revision of its SOR, following Tariff Guidelines, 2019. The submissions made by CITPL in its proposal are as follows:

- (i) The Ministry of Shipping (MOS) in exercise of powers conferred on it under Section 111 of the Major Port Trusts Act 1963, has issued the Tariff guidelines, 2019, for regulation of Tariff for BOT Operators operating in the Major Port Trusts under erstwhile 2005 Tariff guidelines. The said Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 7 March 2019 vide Gazette

No. 92. Subsequently Tariff Authority of Major Ports (TAMP) issued the working guidelines vide No.TAMP/61/2018-Misc dated 20 June 2019.

- (ii) CITPL welcomes the initiatives of the Government in issuing the 2019 Guidelines which will help in addressing most of the long pending issues faced by 2005 BOT operators. The 2019 Guidelines will encourage the BOT operators to invest more in the Port Sector and serve the Trade.
- (iii) It is confirmed that CITPL shall enter into a separate agreement with Chennai Port Trust to the effect that CITPL agrees to abide by the Tariff Guidelines 2019.
- (iv) The proposal for revision of Tariff has been prepared as per the Tariff Guidelines, 2019. The information has been furnished as per the Forms and the Working Guidelines issued by TAMP.
- (v) The highlights of the Proposal are as follows:
 - (a) The Tariff proposal has been prepared in the prescribed formats showing information for the years 2015-16 (15 months financials), 2016-17 and 2017-18 based on the Audited accounts of CITPL for the respective years.
 - (b) The Audited accounts of CITPL are prepared as per IGAAP. Hence, Form 6A and 6B are not applicable. The numbers have been duly verified by Chartered Accountant.
 - (c) It is proposed to broadly retain the existing SOR, except for the following changes:
 - (i) Reefer Charges is proposed to be increased by 10 % due to electricity tariff increase from ₹.5.80 to ₹. 8 per unit from last tariff cycle.
 - (ii) To encourage the Direct Port Delivery (DPD) cargo moving directly to factories, the DPD free storage period is proposed to be increased to 15 days.
 - (iii) Existing Charges for Hazardous and OOG containers are proposed to be increased by 12.5%, due to sling operations requiring additional crane time. In spite of the proposed increase, the premium would be 37.5%, which is within the norm set by TAMP working guidelines.
- (vi) The proposed tariff will have a validity for a period of three years from 01 September 2019 to 30 August 2022 and CITPL would submit a suitable proposal at least three months before the expiry of the validity period.
- (vii) As the information furnished in Forms 1, 2, 3 and 4 and other Forms including supporting documents to substantiate them, is commercially sensitive, it is requested to not circulate these forms, but to circulate only Form 5, 6A, 6B and 7.

5.2. The CITPL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rates in Form-4.

- (i) A summary position of ARR computation furnished by CITPL is tabulated below:

Sl. No.	Description	(₹. in lakhs)			
		Y1 Jan 2015 - Mar 2016 (15 months)	Y1 2015-16 (Proportionate 12 months as given by CITPL)	Y2 2016-17	Y3 2017-18
(1)	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)				
(i)	Operating expenses (including depreciation)	19,035.04	15,228.03	18,097.55	18,552.47

Sl. No.	Description	Y1	Y1	Y2	Y3
		Jan 2015 - Mar 2016 (15 months)	2015-16 (Proportionate 12 months as given by CITPL)	2016-17	2017-18
(ii)	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	13,493.80	10,795.04	10,983.65	10,862.00
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	32,528.84	26,023.07	29,081.20	29,414.47
(2)	Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP				
(i)	Depreciation	-	-	-	-
(ii)	Other expenditure items, if any, to be listed	-	-	-	-
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	-	-	-	-
(3)	Less: Adjustments:				
(i)	Actual Royalty / Rev. share paid to the port	13,094.07	10,475.26	13,072.12	13,763.81
(ii)	Interest on loans	5,498.87	4,399.10	4,003.03	3,322.99
(iii)	Provision for bad and doubtful debts	-	-	1.15	-
(iv)	Provision for slow moving inventory	-	-	-	-
(v)	Other provisions, if any	-	-	-	-
	Total of 3 =[3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	18,592.94	14,874.35	17,076.30	17,086.79
(4)	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	-	-	-	-
(5)	Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2-3)	13,935.90	11,148.72	12,004.90	12,327.67
(6)	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3	-	11,827.10		
(7)	Capital Employed				
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)	-	80,712.13		
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)	-	-		
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019	-	-		
	(a). Inventory		576.77		
	(b). Sundry Debtors		2,878.18		
	(c). Cash		3,201.49		
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)		6,656.44		
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]		87,368.57		
(8)	Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)		13,978.97		
(9)	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2018 [(6)+ (8)]		25,806.07		
(10)	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)		26,696.38		
(11)	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)		26,696.38		
	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above		26,248.20		

5.3. The CITPL has furnished the working of revenue estimation for the existing tariff as well as the proposed tariff in Form 4 for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed level of tariff is ₹ 26,248.20 lakhs.

5.4. The CITPL has furnished a copy each of the Audited Annual Accounts for the years 2015-16 (January 2015 to March 2016), 2016-17 (April 2016 to March 2017) and 2017-18 (April 2017 to March 2017).

6.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CITPL proposal dated 18 July 2019 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 01 August 2019 seeking their comments.

6.2. With regard to a specific request made by CITPL to circulate only Form 5, 6A, 6B and 7 and not to circulate the other forms, Form 5, 6A, 6B and 7 were circulated to the users. Clause 4.3 of the Tariff Guidelines provides for not circulating data which is confidential in nature. Since Form-1 is the basic ARR computation statement based on the audited Annual Accounts and Form-3 is the computation of working capital as per the norms, Form 1 and Form 3 were circulated. Since Revenue Share is not admissible as a pass through in case of CITPL, Form 2 with regard to admissibility of Revenue Share as pass through in ARR computation was not circulated. Since Form 4 gives a detailed revenue estimation at proposed level of tariff and also captures average traffic mix of past 3 years, Form 4 was not circulated, considering that the information may be sensitive.

6.3. With regard to circulation of the proposal to the users for their comments, in response, only Southern India Chamber of Commerce & Industry (SICCI) has furnished its comments till the case was finalized. The comments of SICCI were forwarded to CITPL for its feedback comments. The CITPL vide its letter dated 21 August 2019 has responded.

6.4. A copy of the CITPL proposal dated 18 July 2019 was also forwarded to the Licensor port, Chennai Port Trust (CHPT) for its comments, vide our letter dated 01 August 2019. After a reminder dated 07 November 2019, the CHPT vide its letter dated 16 November 2019 has furnished its comments. The CHPT has stated that it has no specific comments to offer on the proposal of CITPL as the CITPL has proposed to maintain the existing rates (except for Reefer and OOG containers). The CHPT has also stated that CITPL has obtained stay with regard to revision of charges by TAMP in the year 2012 and thereafter no revision of Scale of Rates took place for CITPL and the case is still pending. The CHPT has forwarded a copy of the Order passed by the Hon'ble High Court of Madras on 03 December 2012, wherein the Court had posted the matter to 17 December 2012 and the Hon'ble Court directed the interim order to continue till then.

7. Based on a preliminary scrutiny of the CITPL proposal, additional information/ clarification was sought from CITPL on few points vide letter dated 3 October 2019. The CITPL has responded vide its letters dated 08 October 2019 and 01 November 2019. The information/ clarification sought and the response of CITPL thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ Clarification sought	Reply furnished by CITPL
(i)	Forward a copy of the Separate Agreement to be entered by CITPL with CHPT as per the stipulation of 2019 Guidelines.	The CITPL under cover of its letter dated 01 November 2019 has furnished a copy of the Separate Agreement dated 16 October 2019 duly signed by CITPL and CHPT.
(ii)	The schedule of 'Other Expenses' forming part of the audited Annual Accounts of CITPL for the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18, indicate an expenditure to the tune of ₹.4.38 cr, ₹.4.36 cr. and ₹.4.63 cr, as 'Royalty'. This expenditure of 'Royalty' is seen to be separate and in addition to the expenditure of 'Revenue share to Port Trust'. The CITPL to explain the nature of expenditure captured under the head 'Royalty' and justify its admissibility as cost in light of clause 2.2 of 2019 Tariff Guidelines.	These amounts represents royalty paid to parent company PSA International Pte Limited (PSAI) for use of trade and brand name, trademarks, intellectual property, technical know-how and expertise etc. These amounts have been duly allowed as admissible expenditure in the transfer pricing assessments. In view of above, this is not a payment to landlord port and hence does not fall under clause 2.2 of the 2019 Tariff Guidelines.
(iii)	The schedule of 'Finance Costs' in the audited Annual Accounts of CITPL, shows the expenses of Interest on term loan, interest on commercial borrowings and interest on other related charges. The said 'interest on other related charges' has not been excluded by	Other related charges grouped under Finance Cost represents Bank guarantee commission for BGs given to the Chennai Port Trusts and Customs Authorities, bank charges for facility and rates and taxes for interest on loan. The detailed breakup is given below. The above expenditure are not in the nature of interest on loan and hence to be admissible.

	CITPL from the total expenditure in Form – I. ‘Interest on other related charges’ is also to be excluded from the total expenditure.	<table><tr><th>Nature of Expenses</th><th>Y1-Jan 2015-Mar-2016</th><th>Y2 April 2016-Mar 2017</th><th>Y3-April 2017-Mar 2018</th></tr><tr><td>Bank Guarantee Commission & Charges</td><td>1,39,74,734</td><td>125,25,812</td><td>115,26,707</td></tr><tr><td>Facilitation Fee</td><td>426,802</td><td>1541,071</td><td>269,880</td></tr><tr><td>Rates & Taxes on ECB TDS</td><td>274,26,829</td><td>154,73,282</td><td>182,85,319</td></tr><tr><td>Total</td><td>418,28,365</td><td>295,40,165</td><td>300,81,906</td></tr></table>	Nature of Expenses	Y1-Jan 2015-Mar-2016	Y2 April 2016-Mar 2017	Y3-April 2017-Mar 2018	Bank Guarantee Commission & Charges	1,39,74,734	125,25,812	115,26,707	Facilitation Fee	426,802	1541,071	269,880	Rates & Taxes on ECB TDS	274,26,829	154,73,282	182,85,319	Total	418,28,365	295,40,165	300,81,906
Nature of Expenses	Y1-Jan 2015-Mar-2016	Y2 April 2016-Mar 2017	Y3-April 2017-Mar 2018																			
Bank Guarantee Commission & Charges	1,39,74,734	125,25,812	115,26,707																			
Facilitation Fee	426,802	1541,071	269,880																			
Rates & Taxes on ECB TDS	274,26,829	154,73,282	182,85,319																			
Total	418,28,365	295,40,165	300,81,906																			
(iv)	An amount of ₹ 576.77 lakhs has been considered as inventory under Working Capital in Form-1. This includes ₹510.83 lakhs towards Capital spares and ₹ 65.94 lakhs towards other inventory excluding fuel and customized spares The CITPL to furnish workings in support of the value of other inventory excluding fuel and customized spares considered at ₹ 65.94 lakhs under working capital.	This amount represents the six month average requirement of other inventory. The workings is as follows: Repair and Maintenance – others in the audited balance sheet is ₹.151.85 lac for Jan 2015 to March 2016, ₹.131.77 lac in 2016-17 and ₹.134.64 lac in 2017-18. An average of ₹.132 lac per year is considered and as per clause 2.6 of the Tariff Guidelines 2019, six month at ₹.65.94 lac is considered admissible.																				
(v)	As per the clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, the advance payment of Revenue Share/ royalty to the landlord port flowing from the contractual obligations and advance payment of lease rental / license fee to landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as sundry debtor for computation of working capital. However, apart from advance payment of Revenue Share, Land Lease and deposit with CHPT for land lease and electricity, the CITPL has also considered an amount of ₹.602.00 lakhs towards trade receivables as allowable Sundry Debtors under Working Capital in Form-3. The CITPL to note that the trade receivables considered by CITPL does not arise on account of contractual obligation with CHPT and hence, not admissible as an item of Sundry debtors. Further, workings in support of the amount of the Advance Revenue Share to CHPT (₹ 759.00 lakhs), Advance land lease deposit paid to CHPT (₹.552.00), Deposit with CHPT for Land lease and electricity (₹.966.00) to be furnished.	Based on TAMP comments, Trade receivables have been excluded from the admissible as an item of Sundry Debtors. Revised forms are furnished. However, we refer to TAMP letter dated 5.7.19 on working guidelines to operationalize the 2019 Tariff Guidelines. The BOT operators had requested for inclusion of trade receivables also under sundry debtors. TAMP had confirmed that the matter shall be examined separately. The amount of ₹.602 lacs represents trade receivables as on 31 March 2018 as can be seen from CITPL audited annual report. This represent 4-5 days receivable from the trade. As per CITPL SOR clause 2 (iii) (x) all invoices are due on presentation and 4-5 days represents normal collection period. Considering the above, we request the trade receivable of ₹.602 lacs be allowed under sundry debtors. The working for advance revenue share computation as per MGT for March 2018 is as follows: <table><tr><th>Particulars</th><th>Amount in ₹</th></tr><tr><td>Revenue Share</td><td>6,43,29,000/-</td></tr><tr><td>SGST @ 9% on Revenue share</td><td>57,89,610/-</td></tr><tr><td>CGST @ 9% on Revenue share</td><td>57,89,610/-</td></tr><tr><td>Revenue Share + Service tax (incl. SBC)</td><td>7,59,08,220/-</td></tr><tr><td>Advance revenue share</td><td>7,59,08,220/-</td></tr></table> The land lease as per audited accounts for 2018 amounts to ₹.935 lacs. As per 2019 Tariff Guidelines, CITPL pays the land lease in advance to CHPT as per the license agreement. As per the working guidelines 50% of lease rental considered which work out as: 50% of ₹.935 lac works out to ₹.467.50 lac plus GST of 18% ₹.84.15 lac and total ₹. 552 lac. The CITPL has furnished a copy of the CHPT letter no.	Particulars	Amount in ₹	Revenue Share	6,43,29,000/-	SGST @ 9% on Revenue share	57,89,610/-	CGST @ 9% on Revenue share	57,89,610/-	Revenue Share + Service tax (incl. SBC)	7,59,08,220/-	Advance revenue share	7,59,08,220/-								
Particulars	Amount in ₹																					
Revenue Share	6,43,29,000/-																					
SGST @ 9% on Revenue share	57,89,610/-																					
CGST @ 9% on Revenue share	57,89,610/-																					
Revenue Share + Service tax (incl. SBC)	7,59,08,220/-																					
Advance revenue share	7,59,08,220/-																					

		AO(Rent)/SD Confirmation/2018/FR dated 18 July 2018, wherein the CHPT has confirmed the Security Deposit Balance as on 31.03.2018 towards areas allotted to CITPL. The details of the Deposit are as follows: <table><tr><th>Particulars</th><th>Amount in ₹</th></tr><tr><td>Land Lease Deposit</td><td>8,30,69,161/-</td></tr><tr><td>Rental Deposit</td><td>5,87,511/-</td></tr><tr><td>Way Leave Deposit (Way Leave as per Licence Agreement is ₹ 15955/-, Pipeline is ₹ 6164/- and HT cable is ₹ 27648/-)</td><td>49,767/-</td></tr></table>	Particulars	Amount in ₹	Land Lease Deposit	8,30,69,161/-	Rental Deposit	5,87,511/-	Way Leave Deposit (Way Leave as per Licence Agreement is ₹ 15955/-, Pipeline is ₹ 6164/- and HT cable is ₹ 27648/-)	49,767/-																																																																			
Particulars	Amount in ₹																																																																												
Land Lease Deposit	8,30,69,161/-																																																																												
Rental Deposit	5,87,511/-																																																																												
Way Leave Deposit (Way Leave as per Licence Agreement is ₹ 15955/-, Pipeline is ₹ 6164/- and HT cable is ₹ 27648/-)	49,767/-																																																																												
(vi)	The CITPL has, apart from cash expenses, which is limited to one month's cash expenses as per clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019, has also considered an amount of ₹ 1054.18 lakhs towards lien marked on Bank Guarantees as an allowable cash balances. Since this lien marked on bank guarantee, <u>shown as deposit in the accounts</u> , does not fall under the nomenclature of one month cash expenses, it is not eligible to be considered as one month cash expense.	Based on TAMP comments, lien marked fixed deposit have been excluded from allowable cash balance.																																																																											
(vii)	The existing tariff at section 3.1.3 (a) & 3.3.3 (a) for handling at container yard lift on/off onto/from the Internal Transfer Vehicle for Over 40' in length (Coastal Containers) being levied by CITPL is ₹425.66 per container, which is proposed to continue to be levied by CITPL in the draft proposed SOR. However, in Form-4, the CITPL has considered ` 426.66 per container for estimating the revenue at the existing and proposed level of tariff. The CITPL to review the revise the revenue calculation in Form-4.	There is a typographical error in section 3.1.3 (a) 3.3.3 (a). Corrected Form 4 is furnished.																																																																											
(viii)	The revenue from containers storage (Section-3.11) has been estimated at ₹.540 lakhs at the proposed level of tariff. However, no workings have been furnished by CITPL in Form – 4. The workings to determine container storage revenue to be furnished.	The current import container dwell time average 1.93 days. Export dwell time average 2.72 days and DPD Dwell days average 2.83 days. The revenue from container storage has been estimated on the basis of following workings: Storage rates as per SOR: <table><tr><th>Import</th><th colspan="2">Amount in US\$</th></tr><tr><td></td><th>20'</th><th>40'</th></tr><tr><td>0-3 days</td><td>Free</td><td>Free</td></tr><tr><td>4-15 days</td><td>5.50</td><td>11.00</td></tr><tr><td>16-30 days</td><td>11.00</td><td>22.00</td></tr><tr><td>Beyond 30 days</td><td>22.00</td><td>44.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Export</th><th colspan="2">Amount in US\$</th></tr><tr><td></td><th>20'</th><th>40'</th></tr><tr><td>0-7 days</td><td>Free</td><td>Free</td></tr><tr><td>8-15 days</td><td>5.50</td><td>11.00</td></tr><tr><td>16-30 days</td><td>11.00</td><td>22.00</td></tr><tr><td>Beyond 30 days</td><td>22.00</td><td>44.00</td></tr></table> Exchange rate is 1US\$ = ₹70/- <table><tr><th>Particulars</th><th>Total units</th><th colspan="2">Volume units</th><th colspan="2">Storage (in lakhs)</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Export</th><th>Import</th><th>Export</th><th>Import</th></tr><tr><td>Per FCL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- 20'</td><td>263751</td><td>79125</td><td>184626</td><td>15.23</td><td>213.24</td></tr><tr><td>- 20' to 40'</td><td>168144</td><td>50443</td><td>117701</td><td>38.84</td><td>271.89</td></tr><tr><td>- Above 40'</td><td>149</td><td>45</td><td>104</td><td>0.03</td><td>0.24</td></tr></table>	Import	Amount in US\$			20'	40'	0-3 days	Free	Free	4-15 days	5.50	11.00	16-30 days	11.00	22.00	Beyond 30 days	22.00	44.00				Export	Amount in US\$			20'	40'	0-7 days	Free	Free	8-15 days	5.50	11.00	16-30 days	11.00	22.00	Beyond 30 days	22.00	44.00	Particulars	Total units	Volume units		Storage (in lakhs)				Export	Import	Export	Import	Per FCL						- 20'	263751	79125	184626	15.23	213.24	- 20' to 40'	168144	50443	117701	38.84	271.89	- Above 40'	149	45	104	0.03	0.24
Import	Amount in US\$																																																																												
	20'	40'																																																																											
0-3 days	Free	Free																																																																											
4-15 days	5.50	11.00																																																																											
16-30 days	11.00	22.00																																																																											
Beyond 30 days	22.00	44.00																																																																											
Export	Amount in US\$																																																																												
	20'	40'																																																																											
0-7 days	Free	Free																																																																											
8-15 days	5.50	11.00																																																																											
16-30 days	11.00	22.00																																																																											
Beyond 30 days	22.00	44.00																																																																											
Particulars	Total units	Volume units		Storage (in lakhs)																																																																									
		Export	Import	Export	Import																																																																								
Per FCL																																																																													
- 20'	263751	79125	184626	15.23	213.24																																																																								
- 20' to 40'	168144	50443	117701	38.84	271.89																																																																								
- Above 40'	149	45	104	0.03	0.24																																																																								

		Per Empty					
		- 20'	93647	93647	0	0	0
		- 20' to 40'	36793	36793	0	0	0
		- Above 40'	26	26	0	0	0
						54.11	485.37
						539.48	

8. A joint hearing on the case in reference was held on 13 September 2019 at the premises of CHPT, Chennai. At the joint hearing, the CITPL made a brief power point presentation on the proposal. At the joint hearing, the CITPL, the user organisations and the CHPT have made their submissions.

9.1. As brought out earlier, the Hon'ble High Court of Madras have stayed the last tariff Order passed by the Authority in the year 2012 and permitted CITPL to levy the then prevailing tariff, which is as per the previous tariff Order dated 03 November 2010 passed by the Authority. The said Court Order is still in force.

9.2. In order to ensure that the submission of a proposal by CITPL for review of the High Court permitted SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CITPL should not amount to contravention of the High Court Order, the CITPL was requested even before the joint hearing, vide letter dated 01 August 2019 to intimate appropriately the Hon'ble Madras High Court about the CITPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with this Authority under Tariff Guidelines, 2019.

9.3. After reminders dated 03 October 2019 and 22 October 2019, the CITPL vide its letter dated 01 November 2019 has stated that it has filed a Miscellaneous Writ Petition No. 30768 of 2019 under earlier WP 11010 of 2012 before the Hon'ble High Court of Madras, intimating the High Court about the CITPL migrating to Tariff Guidelines, 2019. A copy of writ petition has been furnished by the CITPL.

9.4. The Prayer made in the WP no. 11010 of 2012 is as given below:

"To issue a Writ of Certiorarified Mandamus and / or a Writ in the nature of Certiorarified Mandamus and / or any other appropriate writ, order, or direction calling for the records and proceedings relating to the impugned order dated 06-01-2012, notified on 14.02.2012, in TAMP/51/2011-CITPL and the legality and validity thereof and be pleased to quash and set aside the same and to further direct 2nd respondent, the Union of India to exercise its statutory power under Section 54 of the Major Port Trust Act, 1963 directing 1st respondent, the Tariff Authority for Major Ports to modify its order dated 06.01.2012, notified on 14.02.2012, in TAMP/51/2011-CITPL and pass such other demand fit in the circumstances of the case and thus render justice."

The amended Prayer made in the Miscellaneous WP no. 30768 of 2019 is as given below:

"To issue a Writ of Certiorarified Mandamus or any other writ or order or direction in the nature of writ to call for the records and proceedings relating to the impugned order of the 1st respondent dated 06.01.2012, notified in 14.02.2012, in TAMP/51/2011-CITPL quash the same and to direct the 1st respondent to modify its order dated 06.01.2012, notified on 14.02.2012, in TAMP/51/2012-CITPL on par with the Tariff Guidelines 2019 by re-considering the application of the petitioner dated 14.10.2011 and render justice."

9.5. Vide the Miscellaneous Writ Petition, the CITPL is seen to have prayed before the Hon'ble Court to amend its prayer made in the WP no. 11012 of 2012 to give retrospective effect to the Tariff Guidelines, 2019 from 14 October 2011. Thus, the CITPL, instead of furnishing the copy of the Affidavit intimating the Hon'ble Court about the CITPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) before this Authority under Tariff Guidelines, 2019, has furnished a copy of the Miscellaneous Writ petition making a prayer to give retrospective effect to the Tariff Guidelines, 2019. The said Miscellaneous Writ petition is nowhere seen to be intimating the Hon'ble High Court of Madras about the CITPL filing of a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with this Authority under Tariff Guidelines, 2019.

10.1. As per clause 1.9. of Tariff Guidelines, 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a Separate Agreement with the concerned Major Port Trust. In this connection, the MOS vide its letter no. PR-14019/20/2009-PG (Pt.IV) dated 8 March 2019 has forwarded a copy of the Final Separate Agreement to all the Major Port Trusts for further necessary action at their end.

10.2. Thus, at the joint hearing held on the case in reference, the CITPL was requested to furnish the copy of the Separate Agreement duly signed by CITPL with CHPT. After reminders dated 03 October 2019 and 22 October 2019, the CITPL under cover of its letter dated 01 November 2019 has forwarded a copy of the Separate Agreement duly signed by CITPL and CHPT in the format as prescribed by the MOS.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

12. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) The Scale of Rates of Chennai International Terminal Private Limited (CITPL) was last revised by this Authority vide Order dated 06 January 2012, following the Tariff Guidelines, 2005. Vide the said Order, this Authority had effected an across the board reduction of 12.23% over the then prevailing tariff of CITPL (i.e. tariff approved for CITPL vide Order No.TAMP/10/2009-CITPL dated 3 November 2010). Aggrieved by the said reduction in its tariff, the CITPL has challenged the tariff Order of January 2012 in the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble High Court have stayed the operation of the Order and has permitted the Petitioner i.e. CITPL to charge at the old rates. The writ petition is yet to be disposed of by the Hon'ble Court.
- (ii) In the meanwhile, the Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the Ministry of Shipping (MOS), the tariff fixation exercise in respect of the CITPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.
- (iii) In this backdrop, the CITPL has come up with a proposal in July 2019 for revision of its tariff for the period from 01 September 2019 to 31 August 2022, following the Tariff Guidelines, 2019, and the Working Guidelines issued to operationalise the Tariff Guidelines, 2019. The revision has been sought by the CITPL on the tariff as approved by this Authority vide its Order dated 3 November 2010, which is now being levied by the CITPL based on the Order of the Hon'ble Court.
- (iv) The CITPL has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates in July 2019. Thereafter, in October 2019, while responding to the queries raised by us, the CITPL has clarified the queries and rectified some errors. The modified workings furnished by CITPL under cover of its letter dated 08 October 2019 alongwith the additional information/ clarifications furnished by CITPL during the processing of the case is considered for the purpose of this analysis.
- (v)
 - (a) Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.
 - (b) The audited Annual Accounts of CITPL for the year 2015-16 is seen to be for a period of 15 months. Therefore, for the purpose of calculation of the ARR, prorata figures for a period of 12 months has been proportionately considered by the CITPL, which has been considered in this analysis.

- (c) The CITPL has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2015-16 (Y1), 2016-17 (Y2) and 2017-18 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the CITPL has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The following adjustments done by CITPL in line with provisions prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are brought out for specific mention:

- (i) Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that 'Royalty/Revenue share' payable to the landlord port by the BOT operator will not be allowed as an admissible cost for tariff computation as decided by the Ministry of Shipping vide its Order No.PR-14019/6/2002-PG dated 29 July 2003. Clause 2.3.1 (i) also stipulates that Royalty/ Revenue share payment to the extent not admissible in tariff fixation is to be excluded, thereby complying with provisions prescribed at clause 2.2. Accordingly, the Revenue share paid by the CITPL to the Licensor port CHPT, as reflected in the audited annual accounts of CITPL at ₹ 130.94 crores (proportionately considered at ₹ 104.75 crores for a period of 12 months in the year 2015-16), ₹ 130.72 crores and ₹ 137.64 crores during the years 2015-16 to 2017-18 respectively, has been excluded by the CITPL.
- (ii) As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, Interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., are to be excluded.

The schedule of 'Finance Costs' in the audited Annual Accounts of CITPL, shows the expenses of Interest on term loan, interest on commercial borrowings and interest on other related charges. The said 'interest on other related charges' has not been excluded by CITPL from the total expenditure in Form – I. On a specific query in this regard, the CITPL has clarified that Other related charges grouped under Finance Cost represents commission for Bank Guarantees given to the CHPT and Customs Authorities, bank charges for facility and rates and taxes for interest on loan. Since the reported expenditure is not in the nature of interest on loans, the same is not considered for exclusion in the ARR calculation. Thus, only the Interest on term loans and external commercial borrowings to the tune of ₹ 54.99 crores (proportionately considered at ₹ 43.99 crores for a period of 12 months in the year 2015-16), ₹ 40.03 crores and ₹ 33.23 crores, as reflected in the audited annual accounts of CITPL during the years 2015-16 to 2017-18 respectively, has been excluded by the CITPL.

Likewise, provision for doubtful debts, to the tune of ₹ 1.15 lakhs during the year 2016-17 has been excluded by CITPL.

- (iii) Clause 2.3.2 stipulates that incase there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, the Audited accounts of CITPL are seen to have been prepared as per IGAAP. In such a scenario, no adjustment in this regard is to be done in the ARR computation.
- (vi) Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as discussed above, the CITPL has arrived at average expenses for the years 2015-16 to 2017-18 at ₹ 118.27 crores, as per the stipulation prescribed in clause 2.4 of the Tariff Guidelines, 2019.
- (vii) (a) The CITPL has arrived at capital employed in line with provision prescribed in Clause 2.5. of the Tariff Guidelines, 2019. The CITPL has considered the gross fixed assets (comprising of tangible and intangible assets) as on 31 March 2018, as reported in the Audited Annual Accounts, maintained as per IGAAP. No capital work-in-progress is reflected in the audited Annual Accounts for the year 2017-18.

- (b) Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The Inventory and Cash balance is seen to have been computed as per norms prescribed in clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019.

With regard to Sundry Debtors, the Guidelines stipulates consideration of the advance payment of Revenue Share/ royalty to the landlord port flowing from the contractual obligations and advance payment of lease rental/license fee to landlord port flowing from the contractual obligations, as sundry debtor for computation of working capital. However, apart from advance payment of Revenue Share, Land Lease and deposit with CHPT for land lease and electricity, the CITPL had also considered an amount of ₹ 602.00 lakhs towards trade receivables as allowable Sundry Debtors under Working Capital in Form-3. Since the trade receivables considered by CITPL did not arise on account of contractual obligation with CHPT, at our specific request, the CITPL has excluded the trade receivables from the sundry debtors balance. However, the CITPL has again requested to consider the trade receivable of ₹ 602 lakhs under sundry debtors, on the ground that though all invoices are due on presentation the said amount represents 4-5 days receivable from the trade, which represents normal collection period.

As per Section 58 of the Major Port Trusts Act, 1963, rates in respect of goods to be landed shall be payable immediately on the landing of the goods and rates in respect of goods to be removed from the premises of a Board, or to be shipped for export, or to be transhipped, shall be payable before the goods are so removed or shipped or transhipped. Time period of 4-5 days allowed by the CITPL appears to be at its discretion. In view of the above statutory provision, this Authority is not in a position to accede to the request made by the CITPL to include the trade receivables a part of sundry debtors.

As regards other components forming part of sundry debtors, the CITPL has furnished workings in support of the amount of the Advance Revenue Share to CHPT (₹ 759/- lakhs) and Advance land lease deposit paid to CHPT (₹ 552/- lakhs). As regards, deposit with CHPT for Land lease and electricity, though the CITPL has considered an amount of ₹ 966/- lakhs on this account, the copy of the CHPT letter no. AO(Rent)/SD Confirmation/2018/FR dated 18 July 2018, as furnished by the CITPL, confirms an amount of ₹ 837.06 lakhs towards various types of deposit as on 31 March 2018. The difference between ₹966 lakhs considered by the CITPL and the amount of ₹837.06 lakhs as per CHPT remains unexplained. Hence, the amount of ₹ 837.06 lakhs is considered as deposit in the analysis.

- (c) The total capital employed including the revised working capital works out to ₹855.84 crores, as against the capital employed of ₹ 857.12 crores, assessed by the CITPL.
- (d) As per Clause 2.7 of the Tariff Guidelines, 2019, Return on Capital Employed at 16% is worked out on the revised Capital Employed, which works out to ₹136.94 crores, which is considered in the ARR computation.
- (viii) The ARR is the average of the expenditure for the three financial years 2015-16 to 2017-18 at ₹118.27 crores plus 16% Return on Capital Employed at ₹136.94 crores aggregating to ₹255.21 crores as on 31 March 2018. Further, as per Clause 2.8. of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR has been indexed @ 100% of the Wholesale Price Index (WPI) applicable for the year 2018-19 at 3.45%. The ceiling indexed ARR works out to ₹264.01 crores for the year 2018-19. The detailed ARR calculation furnished is attached as **Annex – I**. A summary of the ceiling indexed ARR, is given below:

(₹in crores)

Sr. No.	Particulars	ARR computation
1	Average Expenses [Y1+Y2+Y3]/3	118.27
2	Capital employed as on 31.03.2018 including capital work in progress as on 31.03.2018 and working capital as per norms	855.84
3	Return on capital employed @ 16%	136.94

4	ARR as on 31 March 2018 (4=1+3)	255.21
5	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2018-19 (3.45%)	264.01
6	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	264.01
7	Revenue estimated by the CITPL at proposed rate	262.48

It is the Ceiling Indexed ARR as determined at sl. no. 6 above, based on which the CITPL has drawn the proposed Scale of Rates (SOR), as per clause 2.9 of the Tariff Guidelines, 2019.

- (ix) (a) As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic for the years 2015-16 to 2017-18 has been considered by the CITPL at 812243 TEUs. In the absence of any contradicting views of CHPT, it is presumed that the CHPT is in agreement with the average traffic as considered by CITPL in its workings.

- (b) As per Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant.

The CITPL has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2015-16 to 2017-18, as required as per Clause 2.11.1. of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a Chartered Accountant.

- (c) While drawing up the proposed SOR, the CITPL is seen to have proposed to maintain status quo in the existing tariff being levied by the CITPL, except for an increase of 10% in the Reefer Charges and an increase of 12.5% in the Charges for Hazardous and OOG containers. The increase in the Reefer Charges is reported to be able to meet the increase in the electricity costs and the increase in the Charges for Hazardous and OOG containers due to sling operations requiring additional crane time.

Based on the above position, the Revenue Estimation at the proposed level of tariff has been worked out by CITPL at ₹262.48 crores. This is seen to be lower than the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) of ₹ 264.01 crores, as discussed earlier, thereby leaving a gap of ₹1.53 crores, which has been left uncovered by the CITPL.

- (d) Clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to determine the tariff to respond to the market forces based on its commercial judgment and draw the SOR within the ceiling ARR. The revenue estimated by the CITPL at the proposed tariff is within the ceiling ARR and the revenue estimates at the proposed tariff are duly certified by the Chartered Accountant.

- (x) (a) Before we proceed to consider the revised SOR of CITPL, it is pertinent here to draw reference to Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, which stipulates that in case of the BOT operators, whose tariff has not been reviewed in the past due to litigations pending in the High Courts on the Tariff Orders passed by this Authority, the surplus/ deficit over and above the admissible costs and permissible return, if any, arising during the period of litigation will be subject to either the orders of the respective Courts or as per the treatment to be collectively decided by the Ministry of Shipping (MOS), concerned Major Port Trust, concerned BOT operator and this Authority.

- (b) As stipulated in Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, and based on clarification / information sought by CITPL and PSA SICAL (a BOT Operator at V.O Chidambaranar Port Trust) on treatment of past period surplus/ deficit, over and above the admissible costs and permissible return arising during the period of litigation in respect of BOT Operators who have approached various High Courts and have obtained stay on the operation of the last tariff Order passed by this Authority, was prepared and forwarded to the MOS vide our letter no. TAMP/61/2018-Misc dated 26 April 2019, for deliberation by MOS with the concerned BOT operators, concerned Major Port Trusts and this Authority. The MOS has been reminded in

this regard vide our letters dated 23 July 2019 and 18 November 2019. The response of MOS is awaited.

- (c) Thus, it is to state that incase of CITPL, neither the Hon'ble High Court of Madras has passed Order disposing of the Writ Petition nos. 11010 and 11011 of 2012 paving a way for treatment of surplus/ deficit, nor have we received a decision from the MOS, on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation. In other words, neither the methodology for determination of surplus relating to the period of litigation nor the treatment to be meted out to the surplus accrued during the period of litigation has been firmed up.
- (xi) Without giving the impact of any adjustment of past period surplus during the period of litigation, the income at the estimated level of tariff has been proposed by the CITPL at ₹262.48 crores, by proposing to maintain status quo in the existing level of rates being levied by the CITPL i.e. the Court permitted tariff, except for an increase of 10% in the Reefer Charges and an increase of 12.5% in the Charges for Hazardous and OOG containers. With the said estimated income, only a gap of ₹1.53 crores has been left uncovered by the CITPL to meet the ARR. If any adjustment of surplus is carried out in the ARR of ₹264.01 crores, it will further reduce the ARR and warrant a reduction in the existing level of tariff i.e. the Court permitted tariff. In this regard, it is relevant here to mention that if any reduction is effected by this Authority on the Court permitted tariff and that too without approved Policy framework in place, it may be construed as violating the Order of the Court and may give rise to Contempt of Court, in the event the CITPL challenges the Order passed by this Authority effecting any reduction in its tariff. In respect of increase in tariff for Reefer charges and charges for hazardous and OOG containers sought by CITPL, clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019 gives flexibility to the BOT operator to determine the tariff, within the ARR.
- (xii) The proposal filed by CITPL for review of its tariff is before this Authority for disposal. Clause 4.6 of the Tariff Guidelines, 2019, stipulates this Authority to pass a speaking order and notify the SOR based on the proposal submitted by the BOT operators in the Official Gazette within 60 days from the date of filing. The proposal has been filed by CITPL in July 2019. The time limit prescribed in the Guidelines has already exceeded, due to non-receipt of timely response from CITPL and CHPT and time involved in the consultation process.

In the fact and circumstances of the case as brought out above, this Authority is inclined to approve the proposal of CITPL to maintain status quo in the existing level of rates and to allow increase in the Reefer Charges and the Charges for Hazardous and OOG containers, as proposed by CITPL.

While approving the rates as proposed by the CITPL, it is intimated to CITPL that whenever the Hon'ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition nos. 11010 and 11011 of 2012 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, the tariff of CITPL approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has accrued during the period of litigation.

- (xiii) It is relevant here to mention that we have vide our letter no. TAMP/46/2015-Misc dated 24 July 2015 communicated to CITPL that the surplus quantified for the tariff cycle immediately preceding the challenged tariff Order and the tariff fixed in the said tariff order challenged by the CITPL in the Hon'ble High Court will be taken up for review, based on the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 14019/20/2009-PG dated 12 June 2015, subject to the permission of the Hon'ble High Court, as the matter is subjudice. Accordingly, an Affidavit was filed by us in the Hon'ble Court in August 2015, *inter alia*, praying before the Hon'ble Court to permit this Authority to review the order of January 2012 to give effect to the opinion of the Learned Attorney General of India as directed by the MOS. The matter is still pending before the Hon'ble Court. Pending receipt of the permission of the Hon'ble High Court, an exercise to quantify the surplus/ (deficit) based on the MOS letter is undertaken.

Further, it is relevant to draw reference to para no. 10(iv)(m) of the Order no. TAMP/51/2011-CITPL dated 6 January 2012, which has been stayed by the Hon'ble Court. The said para is reproduced below:

“(m) The variations in the actual performance of CITPL compared to the estimates, in respect of key parameters, are furnished in the table given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	Aggregate of 2010 and 2011		
	Estimates	Actuals	Variance
Traffic (in TEUs)	787500	784639	(-)0.36%
Operating Income	24,163.50	21,695.06	(-)10.22%
Operating Expenses (including depreciation and overheads)	16,463.62	13,926.81	(-)15.41%
Capital Employed (average)	51,368.62	51,335.25	(-)0.06%
Rate of Return on Capital Employed	7.49%	7.58%	(+)1.12%

Clause 2.13 of the tariff guidelines of March 2005 while prescribing performance variation of + or – 20% for adjustment of past surplus, stipulates review of both physical and financial performance. In this case, the variation in both the physical performance as well as the key parameters of financial performance like operating income, operating expenses and capital employed, Rate of Return on capital employed are found to be less than 20%. Therefore, the question of adjustment of past deficit in future tariff does not arise. Since the deficit position for the year 2011 is partially based on estimates, the actual position for the year 2011 shall be subject to review during the next tariff revision exercise. If variation is found between the estimate and actual position for the year 2011, the net deficit position for the years 2010 and 2011 considered above shall be reviewed and shall be dealt as per clause 2.13 of the tariff guidelines of 2005.”

Thus, the exercise of considering the actuals for the year 2011 as well as the impact of giving effect to the MOS letter, as stated above is carried out.

A statement showing the past period analysis for the year 2011 is attached as **Annex – II**.

Given that the income to be considered for the purpose of Clause 2.13 will be the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts and not any notional income, the quantum of rebate and discounts to the tune of ₹268 lakhs and ₹947.24 lakhs as considered in the said Order of 2012 is reduced from the operating income then relied upon. Therefore, as against the net surplus after return for the years 2010 as assessed in the 2012 Order at ₹74.94 crores stands revised at a net deficit after return to the tune of ₹77.62 crores. For the year 2011, the actual deficit of ₹18.19 crores is after capturing of the income net of rebate.

Further, the traffic variation is seen to be less than 20%. Therefore, no change is warranted to the decision taken by this Authority in the Order of January 2012, of not adjusting the aggregate deficit for the years 2010 and 2011, since both financial and physical parameters variation is seen to be less than +/- 20%.

Therefore, no deficit is to be credited to CITPL on this account in the future tariff cycle, subject to the permission of the Hon'ble Court.

(xiv) As brought out in the earlier part of the Order, the CITPL in its proposed SOR had also sought approval for increasing the free days for Direct Port Entry (DPE) export containers from the existing 7 days to 15 days. In this regard, it is to state that based on a separate proposal received by the CITPL in this regard, this Authority vide its Order no. No. TAMP/26/2019-CITPL dated 10 October 2019 has already approved the proposal of the CITPL in this regard. This provision has been incorporated by CITPL in its proposed SOR.

(xv) In its proposed Scale of Rates, the CITPL has introduced definitions for the terms viz., Bonded Trucking, DPD/ DPE, ICD Container and Per shift. The CITPL is also seen to have elaborated the existing definition of Transshipment Container in the proposed Scale of Rates. These are discussed below:

(a) Definition of Bonded Trucking:

For the reasons as given in the Order no. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008, this Authority had viewed that since the service of Bonded Trucking provided by the BOT Operator may not come under the scope of Section 42 of the MPT Act, any tariff levied on this account may not require approval of this Authority under Section 48. On the same

analogy, the definition of Bonded Trucking as proposed by CITPL is not prescribed in the Scale of Rates of CITPL. Nevertheless, the CITPL has neither prescribed any rates for bonded trucking nor has estimated any income arising of rendering of service of Bonded Trucking in its.

- (b) **Definition of DPD/ DXE:**
The DPD/ DXE has been defined by CITPL as 'Direct Port Delivery (DPD) and Direct Port Entry (DPE) is a trade facilitation introduced by Government of India to expedite clearance of goods directly from/ to the port thereby reducing transaction time and cost'. Since neither the users nor CHPT has objected to the proposed definition, the said definition is approved.
- (c) **Definition of ICD Container:**
The CITPL has defined ICD Container as 'ICD Container means containers discharged from a vessel and placed in the custody of the CITPL for the purposes of loading on a Train, inside the Terminal. Also "ICD Container" means containers discharged from a Train inside the Terminal and placed in the custody of the CITPL for the purposes of shipment on a vessel. Neither the users nor CHPT has objected to the proposed definition. Since the definitions describes the activity involved in handling of rail borne container inside the terminal, this Authority approves the proposed definition.
- (d) **Definition of per shift**
The CITPL has defined per shift as 'Per Shift means per period of 8 (eight) hours. The proposed definition is approved.
- (xvi) In the proposed Scale of Rates, the existing storage charges for the Import containers has been bifurcated into categories viz., Category 1 – Import (Loaded & Empty) (including DPD/ CFS) and Category 2 – Import (Loaded DPD) (Direct to Factory). While the existing storage charges have been retained for both the categories, only in respect of Category 2 – Import (Loaded DPD) (Direct to Factory), 2 additional free days have been proposed by the CITPL. In other words, while free days for Category 1 – Import (Loaded & Empty) (including DPD/ CFS) is prescribed at existing level of 3 free days, the free days for Category 2 – Import (Loaded DPD) (Direct to Factory) has been proposed at 5 days. As per Clause 9.10.1 of the Working Guidelines issued to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, the number of free days is to be proposed by individual operators. Thus, BOT operators have the prerogative to prescribe the storage charges. Since increase in free days will be beneficial to the users and since the Licensor port CHPT has not objected to the increase in free days, the proposal of the CITPL in this regard is approved.
- (xvii) The Schedule of Miscellaneous charges in the existing Scale of Rates of CITPL prescribes rates for various miscellaneous services. As part of the said Schedule, the CITPL has introduced a new schedule as 'DPD/ DPE Facility Charges', for levy of charges for those RMS Container marked for seal verification or open inspection by Customs inside CITPL Yard. The charges prescribed under this schedule are towards On wheel customs inspection, documentation charges, lift on/ lift off, shifting within the terminal and fixing/ removal of seal. Levy of forklift charges if required during open examination is also proposed. Given that income from the proposed entry of 'DPD/ DPE Facility Charges' has not been separately captured in the income estimation at the proposed level of tariff, this Authority is not inclined to approve insertion of the said entry. Non-prescription of the said rates separately under 'DPD/ DPE Facility Charges' will not inconvenience CITPL, as the rates for On wheel customs inspection, documentation charges, lift on/ lift off, shifting within the terminal and fixing/ removal of seal, already form part of the existing Schedule of Miscellaneous charges.
- (xviii) As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2020. That being

so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by the Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by the Authority. The annual indexation will be from 01 May 2020. The indexed SOR shall be intimated by the CITPL to the CHPT, users and to this Authority.

13. In order to ensure that the submission of a proposal by CITPL for review of its SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CITPL should not amount to contravention of the High Court Order, the CITPL was repeatedly requested to intimate the Hon'ble Madras High Court about the CITPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates. However, the CITPL has not made available any evidence to establish that it has intimated the Hon'ble Court about the CITPL approaching this Authority for revision of the Court permitted tariff. Therefore, the revised SOR approved now in respect of CITPL shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by this Authority in the Gazette of India or from the date the CITPL intimates the High Court about the CITPL getting approval of this Authority for revision of the Court permitted tariff, by way of filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of Madras, whichever is later. The CITPL is advised to produce before this Authority an authenticated copy of the Affidavit immediately on filing in the Court. The implementation of the revised SOR without intimation to the Hon'ble High Court will be at the risk and responsibility of CITPL.

14.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the Scale of Rates and conditionalities of the CITPL attached as **Annex – III**.

14.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the CITPL would come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by this Authority in the Gazette of India or from the date the CITPL intimates the High Court about the CITPL getting approval of this Authority for revision of the Court permitted tariff, by way of filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of Madras, whichever is later. Once the revised Scale of Rates comes into effect, it shall be in force for a period of three years thereafter, subject to annual indexation. The approval accorded to the Scale of Rates will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

14.3. The tariff of the CITPL has been fixed based on the prevailing information and without considering any adjustment of past period surplus relating to the period of litigation. Therefore, whenever the Hon'ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition nos. 11010 and 11011 of 2012 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, as stipulated in clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the tariff of CITPL approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has accrued to CITPL during the period of litigation.

14.4. As stipulated in Clause 7 of the Tariff Guidelines, 2019, the CITPL shall furnish to this Authority, annual reports on container traffic handled, average moves by crane per hour and average dwell time for containers. The annual reports shall be submitted by the CITPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which may be required by this Authority from time to time shall also be furnished by CITPL.

14.5. An analysis of variation will also be made at the time of the next general review of tariff of CITPL at the end of the tariff validity period and adjustment of additional surplus will be made in the tariff to be fixed for the next cycle, in line with the stipulation contained in Clauses 3.2.1 and 3.2.2 of the Tariff Guidelines, 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./373/19]

Annex - I
Form - 1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts.						
Rs. in lakhs						
Sl. No.	Description		Y1	Y1	Y2	Y3
			Jan 2015 - Mar 2016	April 2015 - Mar 2016	2016-17	2017-18
(1)	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)	Note 1				
(i)	Operating expenses (including depreciation)		19,035.04	15,228.03	18,097.55	18,552.47
(ii)	Finance and Miscellaneous expenses (FME)		13,493.80	10,795.04	10,983.65	10,862.00
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)		32,528.84	26,023.07	29,081.20	29,414.47
(2)	Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP	Form 6 A and Note 2				
(i)	Depreciation		-	-	-	-
(ii)	Other expenditure items, if any, to be listed		-	-	-	-
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+ -----		-	-	-	-
(3)	Less Adjustments:					
(i)	Actual Royalty / Revenue share paid to the port		13,094.07	10,475.26	13,072.12	13,763.81
(ii)	Interest on loans		5,498.87	4,399.10	4,003.03	3,322.99
(iii)	Provision for bad and doubtful debts		-	-	1.15	-
(iv)	Provision for slow moving inventory		-	-	-	-
(v)	Other provisions, if any		-	-	-	-
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]		18,592.94	14,874.35	17,076.30	17,086.79
(4)	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	Form 2 and Note 3		-	-	-
(5)	Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2-3)		13,935.90	11,148.72	12,004.90	12,327.67
(6)	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3					11,827.10
(7)	Capital Employed					
	(i) Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)					80,712.13
	(ii) Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			-		
	(iii) Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019	As per Form 3 & Note 4				
	(a) Inventory					576.77
	(b) Sundry Debtors					2,147.46
	(c) Cash					2,147.31
	(d) Sum of (a)+(b)+(c)					

				4,871.54		4,871.54
	(iv) Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]					85,583.67
(8)	Return on Capital Employed 16% on SL No.7(iv)					13,693.39
(9)	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2018 [(6)+ (8)]					25,520.49
(10)	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2018-19, then the applicable WPI is 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)					26,400.94
(11)	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)					26,400.94
(12)	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at SL No.11 above	As per Form 4 & Note 5				26,248.20

Annex - II

CHENNAI INTERNATIONAL TERMINAL PRIVATE LIMITED

Past Period analysis for the year 2011			(Rs. in Lakhs)
	Particulars		Actuals for the year 2011
I	Total Operating Income		
	Container handling income		6599.41
	Other related charges		6788.40
	Total		13387.81
II	Operating Cost		
	Operating & Direct Labour		3846.57
	Maintenance cost		
	Equipment Running Costs (Power & Fuel)		
	Equipment Hire		
	Container inspection and lashing charges		
	Insurance		
	Technical Service Fee to Parent Company		
	Land Lease Charges		
	Consumption of stores & spares		
	Total		3846.57
III	Depreciation		2993.64
IV	Overheads		
	Management & Administration overheads		560.97
	Foreign Exchange Loss		
	Loss on Sale of assets		
	Miscellaneous Expenses		
	Total		560.97
V	Operating Surplus/(Deficit) (I - II-III-IV)		5986.63
VI	Finance & Miscellaneous Income (FMI)		
	Scrap sale		0.00
	Exchange gain		0.00
	Miscellaneous income		143.43
	Total		143.43
VII	Finance & Miscellaneous Exp. (FME)		

	Bank charges	0.00
	Total	0.00
VIII	FMI less FME (VI-VII)	143.43
IX	Surplus Before Interest & Tax (V + VIII)	6130.06
X	Net Capital Employed	49683.30
XI	Return on Capital Employed	7949.33
XII	Net Surplus / (Deficit) (IX- XI)	-1819.27

Annex - III

CHENNAI INTERNATIONAL TERMINAL PRIVATE LIMITED

SCALE OF RATES

(This SOR shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by the Authority in the Gazette of India or from the date it is intimated to the Hon'ble Madras High Court for getting approval of the Authority for revision of High Court permitted tariff by filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of Madras, whichever is later.)

DEFINITIONS AND CONDITIONS

This Scale of Rates sets out the charges payable to Chennai International Terminals Private Limited from time to time for the use of services and facilities provided by Chennai International Terminals Private Limited.

1. DEFINITIONS

In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i) **“Accredited Clients Programme”** means a programme introduced by the Customs Department whereby importers registered by them as **“Accredited Clients”** will form a separate category to which assured facilitation will be provided. Except for a small percentage of consignments selected on random basis by the RMS, or cases where specific intelligence is available or where a specifically observed pattern of non-compliance is required to be addressed, accredited clients will be allowed clearance on the basis of self-assessment i.e., as a matter of course, clearance will be allowed on the basis of their declaration and without examination of goods. Further this benefit will be available to Accredited Clients at all ports in the country where EDI and RMS are operational. It is expected that this programme will bring reduction in the dwell time of cargo and transaction cost of such importers. Commissioners of Customs are also required to work with the custodians for earmarking separate storage space, handling facility and expeditious clearance procedures for these clients. Further IMG has also recommended ‘faster delivery system by creating separate area in the port premises clearly earmarked for delivery of cargo to specified accredited importers.’ This programme has been defined in detail in Customs Circular No. 42/2005 – cus dated 24th November 2005.
- (ii) **“CITPL”** means Chennai International Terminals Private Limited, a company incorporated in India, its successors and assigns.
- (iii) **“Coastal Vessel”** means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India and / or having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/ competent authority.
- (iv) **“Container”** means the standard ISO container, suitable for the transport and stacking of cargo and must be capable of being handled as a unit and lifted by a crane with a container spreader.
- (v) **“DPD/DPE”** means Direct Port Delivery (DPD) and Direct Port Entry (DPE) is a trade facilitation introduced by Government of India to expedite clearance of goods directly from/to the port thereby reducing transaction time and cost.

DPD container shall refer to those containers which comply to the norms set by CBEC, Chennai vide facility circular No 05/2017 dated 28 Feb 2017.

DPE container shall refer to those containers which comply to the norms set by CBEC, Chennai vide facility circular No 26/2017 dated 18 Nov 2017.

- (vi) **“FCL”** means containers said to contain Full Container Load.
- (vii) **“Foreign-going Vessel”** means any vessel other than a coastal vessel.
- (viii) **“Fumigation Facility”** means facilitating decontamination of cargo which are prone to be affected by pests and which requires pesticides to decontaminate by way of fumigation or degassing or both.
- (ix) **“Hazardous container”** means a Container containing hazardous goods as classified under IMO.
- (x) **“ICD”** means Inland Container Depot.
- (xi) **“ICD Container”** means containers discharged from a vessel and placed in the custody of the CITPL for the purposes of loading on a Train, inside the Terminal. Also **“ICD Container”** means containers discharged from a Train inside the Terminal and placed in the custody of the CITPL for the purposes of shipment on a vessel.
- (xii) **“LCL”** means containers said to contain Less than Full Container Load (Container having cargo of more than one importer/exporter).
- (xiii) **“Over Dimensional Container”** means a Container carrying over dimensional cargo beyond the normal size of standard containers and needing special devices like slings, shackles, lifting beam, etc. Damaged Container and Container requiring special devices for lifting is also classified as Over-Dimensional Container.
- (xiv) **“Per Day”** means per calendar day or part thereof.
- (xv) **“Per Shift”** means per period of 8 (eight) hours.
- (xvi) **“Port”** means the Chennai Port Trust (CPT) whereas **“Terminal”** means the Container Terminal operated by Chennai International Container Terminal Private Limited.
- (xvii) **“Reefer”** means any Container for the purpose of the carriage of goods, which require power supply to maintain the desired temperature.
- (xviii) **“Shut Out Container”** means a container, which has entered in to the terminal for export for a vessel as indicated by VIAN and is not connected to the vessel for whatsoever reason.
- (xix) **“Tonne”** means one metric Tonne of 1,000 kilograms or one cubic metre.
- (xx) **“Transshipment Container”** means container discharged from a vessel and placed in the custody of the CITPL for the purposes of shipment on another vessel declared on a Transshipment manifest with the ultimate port destination marked on each container lodged with prior to or at the time of such a container is placed in its custody.
- (xxi) **“VIAN”** means Vessel Identification Advise Number.

3. GENERAL

- (i) Status of a vessel as borne out by its certification issued by Director General of Shipping is the relevant factor for deciding whether the vessel is ‘foreign-going’ or ‘coastal’. Foreign going vessels permitted to undertake coastal voyages and the cargo / container carried by them will also qualify for the concession in respect of such permissible voyages:
 - A. A foreign-going vessel of Indian Flag having a General Trading License can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order.

- B. A foreign-going vessel of Foreign Flag can convert to coastal run on the basis of a Coastal Voyage License issued by the Director General of Shipping.
 - C. In case of such conversions, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - D. In case of such conversions, coastal rates shall be chargeable only till the vessel completes coastal cargo discharging operations; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - E. For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal License from the Director General of Shipping, no other documents will be required to be entitled to coastal rates.
- (ii) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- (iii) (a) Users shall pay penal interest on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. Likewise, the CITPL shall pay penal interest on delayed refunds.
- (b) The rate of simple interest will be 15% p.a. The penal interest will apply to both the CITPL and the users equally.
- (c) The delay in refunds by the CITPL will be counted beyond 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (d) The delay in payments by the users will be counted beyond 10 days after the date of raising the bills by the CITPL. This provision shall, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trust Act, 1963, and / or where payment of charges in advance is prescribed as a condition in this Scale of Rates.
- (e) A premium of 37.50% will be levied in case of Hazardous Cargo Containers / Over Dimensional Containers over the applicable handling charges prescribed for respective categories of containers.
- (iv) Containers less than and up to 20' in length will be reckoned as one TEU for the purpose of tariff.
- (v) Container-related charges denominated in US dollar terms shall be collected in equivalent to Indian rupees. For this purpose, the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its subsidiaries or any public sector bank as may be prescribed from time to time prevalent on the date of entry of the vessels into the Terminal (in case of import containers) and on the date of arrival of containers in the Terminal premises (in case of export containers) shall be applied for re-conversion of the dollar-denominated charges into Indian rupees.
- (vi) A regular review of exchange rate shall be made once in thirty days from date of arrival of the vessels in cases of vessels staying in the Port for more than thirty days. In such cases the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of review.
- (vii) (a) Users will not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to the port.
- (b) In case vessel idles due to non-availability or breakdown of the shore based facilities of CITPL or any other reasons attributable to the CITPL, rebate equivalent to berth hire charges payable to ChPT accrued during the period of idling of vessel shall be allowed.
- (viii) The charges prescribed in the Scale of Rates are exclusive of all applicable taxes. All applicable taxes will be collected at actual.
- (ix) All **LCL** containers coming in and going out of CITPL as a unit load will be treated as **FCL** for the purpose of levying charges.
- (x) All Invoices are issued as due on presentation. Failure to pay may cause a lien to be placed on the goods handled at the terminal and the responsible party may be denied further use of the terminal unless all dues together with interest @ 15 % is paid from the date of discharge of cargo till the date of payment.

- (xi) Container other than that of standard size requiring special devices /sling handling will be charges as per 3.5 below .Such containers will also include damage containers and any other type requiring special devices.
- (xii) If a terminal user provides with prior consent of CITPL, lashing/unlashing gang for lashing operation of all containers in the vessel, then a rebate of ₹.33/- per container in handling charges prescribed in section 3.1.1,3.2.1,3.3.1, and 3.4 shall be allowed, subject to the terminal user agreeing to follow safety regulations.

SECTION – 1

3.0 CHARGES FOR CONTAINER OPERATION

3.1 Charges for handling FCL import, export and empty containers

3.1.1. Handling by Quay Crane including lashing/unlashing charges

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per FCL Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	22.53	INR	567.76
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	33.78	INR	851.26
Over 40' in length	US\$	45.05	INR	1135.26
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	22.53	INR	567.76
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	33.78	INR	851.26
Over 40' in length	US\$	45.05	INR	1135.26

Services Include handling by Quay Crane Lashing and Unlashing.

3.1.2. Transportation from Quay side to Yard & Vice Versa

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per FCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	641.91	INR	385.15
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	962.83	INR	577.70
Over 40' in length	INR	1283.81	INR	770.29
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	317.90	INR	190.74
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	476.85	INR	286.11
Over 40' in length	INR	635.80	INR	381.48

Services Include transport to and from Quayside

3.1.3 (a) Handling at Container Yard including lift on / lift off onto / from the Internal Transfer Vehicle

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per FCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	212.84
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	319.26
Over 40' in length	INR	709.44	INR	425.66
Per Empty Containers				

Not exceeding 20' length	INR	175.67	INR	105.40
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	263.50	INR	158.10
Over 40' in length	INR	351.34	INR	210.80

Note: Services includes lifts at container yard for storage.

3.1.3. (b) **Handling at Container Yard including lift on / lift off, delivery to customers and receipt from customers**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per FCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	354.73
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	532.10
Over 40' in length	INR	709.44	INR	709.44
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	175.67	INR	175.67
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	263.50	INR	263.50
Over 40' in length	INR	351.34	INR	351.34

Note: Services includes lifts at container yard for landing or loading the container from or to customer vehicle

3.2. **Charges for handling LCL import & export container**

3.2.1. **Handling by Quay Crane including Lashing/ Unlashing**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per Container				
Not exceeding 20' length	US\$	22.53	INR	567.76
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	33.78	INR	851.26
Over 40' in length	US\$	45.05	INR	1135.26

3.2.2. (a) **Transportation from Quay side to Yard and Vice Versa**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per LCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	609.84	INR	365.90
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	914.70	INR	548.82
Over 40' in length	INR	1219.62	INR	731.77

Note: Services include transportation of container from quay to yard and vice versa.

3.2.2. (b) **Handling at Container Yard including lift on / lift off onto / from the Internal Transfer Vehicle**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per LCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	212.84
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	319.26
Over 40' in length	INR	709.44	INR	425.66

Note: Services includes lifts at container yard for storage.

3.2.2. **C) Handling at Container Yard including lift on /Lift off delivery /receipt to and from customers**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per LCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	354.73
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	532.10
Over 40' in length	INR	709.44	INR	709.44
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	175.67	INR	175.67
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	263.50	INR	263.50
Over 40' in length	INR	351.34	INR	351.34

Note: Services Include Lifts at Container Yard for landing or loading the container from or to customer vehicle

3.3. **Charges for Handling ICD Import & Export containers**

3.3.1. **Handling by Quay Crane including lashing/unlashing charges**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per Loaded Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	22.53	INR	567.76
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	33.78	INR	851.26
Over 40' in length	US\$	45.05	INR	1135.26
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	22.53	INR	567.76
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	33.78	INR	851.26
Over 40' in length	US\$	45.05	INR	1135.26

Note: Services includes handling by quay cranes and lashing and unlashing

3.3.2. **Transportation from Quay side to Container Yard & Vice Versa**

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per Loaded Containers				
Not exceeding 20' length	INR	609.84	INR	365.90
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	914.71	INR	548.83
Over 40' in length	INR	1219.63	INR	731.78
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	302.01	INR	181.21
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	452.98	INR	271.79
Over 40' in length	INR	604.01	INR	362.41

Services include transport to container rail yard, stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer between vessel, CITPL and Shipping line.

3.3.3. (a). Handling at Container Yard lift on / lift of from the Internal transfer vehicle.

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per Loaded Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	212.84
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	319.26
Over 40' in length	INR	709.44	INR	425.66
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	175.67	INR	105.40
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	263.50	INR	158.10
Over 40' in length	INR	351.34	INR	210.80

Note: Service include lift at container yard for storage.

3.3.3. (b). Handling at container rail yard lift on /off while giving delivery for Rail.

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per LCL Containers				
Not exceeding 20' length	INR	354.73	INR	354.73
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	532.10	INR	532.10
Over 40' in length	INR	709.44	INR	709.44
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	INR	175.67	INR	175.67
Exceeding 20' and upto 40' in length	INR	263.50	INR	263.50
Over 40' in length	INR	351.34	INR	351.34

Note: Services include lift at container rail yard, data handling, Processing and transfer between vessel, CITPL and shipping line.

3.4. Charges for Handling Transshipment Containers

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Per Loaded Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	27.02	INR	680.90
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	40.54	INR	1021.61
Over 40' in length	US\$	54.05	INR	1362.06
Per Empty Containers				
Not exceeding 20' length	US\$	27.02	INR	680.90
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	40.54	INR	1021.61
Over 40' in length	US\$	54.05	INR	1362.06

Services include handling by quay crane (discharge and loading), transport and lifts stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer between vessel, CITPL and Shipping Line.

Note: (i) A Transhipment container sent to CFS, ICD are taken delivery locally shall be charge the local Container rate

1. A shut out charge as per Schedule 3.10 shall apply:

i) The vessel nomination is changed

ii) If the vessel nomination is changed from a later vessel to an earlier vessel after the earlier vessel is berthed

3.5. Charges for Hazardous Cargo containers / Over Dimensional cargo containers

A Premium of 37.5% will be levied over the applicable handling charges prescribed above for respective categories of containers.

3.6. Charges for Wharfage.

	Foreign Going Vessel -US \$	Coastal Vessel ₹.
Per Containers (box Only)		
Not exceeding 20' length	1.29	32.51
Exceeding 20' and upto 40' in length	1.94	48.89
Over 40' in length	2.57	64.76
Per Containerized Cargo	₹.	₹.
Not exceeding 20' length	707.85	424.71
Exceeding 20' and upto 40' in length	1061.78	637.07
Over 40' in length	1415.70	849.42

Note:

(i) The charge for Containerized cargo in all cases will be in Rupee terms.

(ii) The Charge for containers in case of 'foreign arrival 'and 'foreign departure 'will be in dollar terms.

(iii) The charge for containers in case of 'coastal arrival' and 'coastal departure' will be in Rupee terms.

(iv) Wharfage will be charged on all containers including ICD's, transhipment, Laden and Empty containers.

3.7. Charges for handling Hatch Covers for One Operation (both opening and closing)

S.I No.	Particulars	Foreign-going vessels- US \$	Coastal vessels (₹.)
(a)	Without landing Hatch Cover on the quay	18.02	454.10
(b)	With landing Hatch Cover on the quay	45.05	1135.26

Note: Half the rate shall be charged if they is only one activity ie either opening or closing operations.

3.8. Charges for Shifting Containers within Vessel (Restows).

Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
Within hatch (without landing & reshipping) per container				
Not exceeding 20' length	US\$	10.95	INR	275.94
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	16.41	INR	413.53
Over 40' in length	US\$	21.88	INR	551.38
Via Quay (shifted by landing on quay & reshipping) per container				
Not exceeding 20' length	US\$	32.18	INR	810.94
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	48.27	INR	1216.40
Over 40' in length	US\$	64.35	INR	1621.62

Notes: No wharfage will be applicable on the restow containers and Containerized cargo.

3.9. **Reefer related and other General Services.**

	Particulars	Currency	Foreign Going Vessels	Currency	Coastal Vessels
(a)	Pre-trip inspection (PTI) including supply of electricity	US\$	33.00	INR	831.60
(b)	Connection or disconnection services on board a vessel	US\$	2.20	INR	55.44
(C)	Cleaning of Containers				
	Not exceeding 20' length	US\$	1.65	INR	41.58
	Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	3.30	INR	83.16
	Over 40' in length	US\$	4.95	INR	124.74
(d)	Supply of electricity (including connection, disconnection, monitoring at reefer point) per container for 4 hours shift or part thereof				
	Not exceeding 20' length	US\$	3.89	INR	98.13
	Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	5.84	INR	147.19
	Over 40' in length	US\$	7.79	INR	196.26

Notes:

1. Above tariff does not include parameter setting or repair & maintenance of malfunctioning reefers. Above charges will be applicable to restow reefer containers.
2. Pre-trip inspection of the reefer container, connection or disconnection services on board the vessel and cleaning of containers are optional services and shall be rendered when requested.

3.10. **Charges for Shut out Container/ renomination of Containers.**

Shut out Containers	Currency	Foreign Going Vessel	Currency	Coastal Vessel (₹.)
Not exceeding 20' length	US\$	24.45	INR	1026.90
Exceeding 20' and upto 40' in length	US\$	36.69	INR	1540.96
Over 40' in length	US\$	48.91	INR	2054.22

Note : Above charges shall apply where.

1. An export container or a transshipment container or a re-export container is shut out and subsequently delivery out of CITPL.
2. A container is shut out by one vessel and subsequently shipped on another vessel, in addition to the charges for handling by quay crane charges. In this case, the free storage period will be given to the container in accordance with section 3.11 from the time the container is first received. If the free storage period is exceeded, storage charges shall be calculated after the expiry of the free period up to the time of lift on.

3.11. CHARGES FOR STORAGE OF CONTAINERS.**1. Import - loaded and Empty Containers – (INCLUDES DPD / CFS)**

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 3 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 4 to 15 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(c)	From 16 to 30 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(d)	Beyond 30 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

(1A) Import –Loaded DPD (Direct to Factory).

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 5 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 6 to 15 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(c)	From 16 to 30 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(d)	Beyond 30 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

2. Export – FCL, LCL and Empty Containers

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 7 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 8 to 15 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(c)	From 16 to 30 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(d)	Beyond 30 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

(2A) DPE –(Direct Port Entry Export)

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 15 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 16 to 30 days	11.00	N.A	22.00	N.A	33.00	N.A
(c)	Beyond 30 days	22.00	N.A	44.00	N.A	66.00	N.A

3. ICD Containers –Import & Export Loaded and Empty

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 10 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 11 to 30 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(c)	From 31 to 45 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(d)	Beyond 45 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

4. Transshipment Containers – Loaded and Empty

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	First 30 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
(b)	From 31 to 45 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00
(c)	From 46 to 60 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(d)	Beyond 60 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

5. Shut Out Containers – Loaded and Empty

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length		Container exceeding 20 feet in length and upto 40 feet length		Container exceeding 40 feet in length and upto 45 feet length	
		Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal	Foreign-going	Coastal
		US \$	₹.	US \$	₹.	US \$	₹.
(a)	From 1 to 15 days	5.50	231.00	11.00	462.00	16.50	693.00

(b)	From 16 to 30 days	11.00	462.00	22.00	924.00	33.00	1386.00
(c)	Beyond 30 days	22.00	924.00	44.00	1848.00	66.00	2772.00

Notes:

- 3.1.1.1. Storage period for a container shall be reckoned from the day following the day of landing up to the day of loading / delivery/ removal of containers.
- 3.1.1.2. For the purpose of calculation of free time, Sundays, Customs notified holidays and the Terminal's non-operating days shall be excluded.
- 3.1.1.3. Storage charge shall not accrue for the period during which CITPL is not in a position to deliver / shift the containers when requested by the users.
- 3.1.1.4. Transshipment containers whose status is subsequently changed to local FCL / LCL or ICD container shall be levied storage charges at par with the relevant import containers.
- 3.1.1.5 Hazardous containers shall attract 1.50 times the normal applicable charges.
- 3.1.1.6 Over-High and Over-Dimensional Containers including the windmill boxes the storage charges shall be based on the actual no of ground slots the respective container occupies under the respective slabs given above.
- 3.1.1.7 If boxes meant for delivery under the "Accredited Client Programme" (ACP) as explained 1(i) above are not moved out with in three days of its landing into the terminal these boxes would be shifted to the normal import stack area from the designated ACP import stack area in which case extra Lift on/off and are shifting charges would be charged.
- 3.1.1.8 The free and storage rates prescribed in case of ICD containers are applicable only for Movement of containers to /from ICDs going by rail.
- 3.1.1.9 Normal import containers subsequently changing the mode to LCL or ICD containers enjoy the free period applicable to local FCL
- 3.1.1.10 Total storage period for shut out container shall be calculated from the day when the container has entered the terminal till the day of shipment / delivery.
- 3.1.1.11 The storage charges on abandoned containers / shipper owned containers shall be levied up to the date of receipt of intimation of abandonment in writing or 75 days from the day of landing of the container, whichever is earlier subject to the following conditions:
- The consignee can issue a letter of abandonment at any time.
 - If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent / MLO can also issue abandonment letter subject to following:
 - the Line shall resume custody of container along with cargo and either take it back or remove it from the port premises; and
 - the Line shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.
 - The container Agent / MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and destuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on the container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines for destuffing the cargo.
 - Where the container is seized / confiscated by the Customs Authorities and the same cannot be destuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the day the Customs order release of the cargo subject to Lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be

removed by the Line / consignee from the terminal premises to the Customs bonded area and in that case, the storage charge shall cease to apply from the day of such removal.

- 3.11.12. The ground slots for export containers will be reserved for 7 days weekly call of the Vessel and 5 days for bi-weekly call of vessel.

3.2 Miscellaneous Charges.

(Rate per container in ₹.)

Sl. No.	Particulars	Container not exceeding 20 feet in length	Container exceeding 20 feet but upto 40 feet in length	Container exceeding 40 feet but upto 45 feet in length
(i)	Fixing/ removal of seal	220.00	220.00	220.00
(ii)	Lift on / Lift off in the Container Yard	707.85	1061.78	1415.70
(iii)	Charges for shifting of container within the Terminal	965.25	1447.88	1930.50
(iv)	POD Charges	965.25	1447.88	1930.50
(v)	Additional Movement- Terminal to Rail or rail to Terminal/ charges for extra movement/ transportation.	965.25	1447.88	1930.50
(vi)	Change of status of Container from Rail to Road or vice-versa	965.25	1447.88	1930.50
(vii)	Charges for export containers arriving in the terminal after the gate cut-off for the particular VIAN	965.25	1447.88	1930.50
(viii)	Fixing/removal of Hazardous Sticker (per container)	110	110	110
(xi)	One door open charge Per container	660	660	660
(x)	Cancellation of Document (per EIR)	110	110	110
(xi)	Non-declaration / Mis-declaration of Hazardous containers and Over dimensional container	3300	3300	3300
(xii)	On Wheel customs Inspection (per container)	440	440	440
(xiii)	Fumigation Charges	2200	2200	2200
(xiv)	Fork lift charges for movement of lashing, bins within the terminal (per lashing bin)	110	110	110
(xv)	Weighment of Trailers with / without cargo	110	110	110

Notes.

- Cancellation charge for EIR** applies when EIR is cancelled at the request of customer.
- “One Door Open” Charge** is applicable for handling containers which require only one door to be kept open and when door opening and securing is carried by the terminal.
- Fixing / Removal of Seal**
Bottle seals shall be fixed on every container arriving at the terminal - by rail / road / sea - without a proper bottle seal on it, prior to allowing its entry. The terminal staff shall be at liberty to do this without having to obtain prior consent of the shipping lines. The list of such containers on which a seal is affixed by the terminal shall be intimated to the lines. Seals shall be removed at the request of the customer.
- Fixing / Removal of ‘Hazardous Sticker’**
Hazardous stickers indicating the IMCO class only shall be affixed on a container (Four Stickers) carrying hazardous cargo. Similarly old stickers on the container shall be removed from a container carrying non-hazardous cargo. In either case, the customer has to intimate in writing to CITPL to undertake the said activity, within the terminal.

5. Customs Inspection

The inspection of a container shall be allowed at a nominated point only, on the written request of the customer. The container doors can be opened only under customs supervision.

6. Additional Movement- From terminal to Rail siding or rail siding to terminal will be applicable for ICD container moved by CITPL.**7. Non-Declaration / Mis-declaration of Hazardous Container**

The Customer has to declare the hazardous nature of the cargo as per the IMCO rules and furnish the relevant hazardous details to CITPL. The charges are for non-declaration / mis-declaration of the hazardous nature and also for not furnishing the full particulars of the hazardous nature including the IMCO class, UN NO, EPS, MFAG, correct technical name, contact details of the person in case of emergency.

8. Weighment of Trailer with or without Containers / Cargo

The service of weighment of trailers / trucks is an optional service and shall be offered at the request of the users. The charge includes issuing of the requisite certificate with the weight indicated on it.

3.13. Charges for supply of fresh water to shipping alongside the container berths.

	Foreign-going US \$	Coastal ₹.
Per 1000 liters or part thereof	7.47	313.74

3.14 Charges for clearance of Garbage on board.

	₹.
Per 1/2 Cubic Meter bag	257.40